

फोकस इण्डिया
प्रकाशन
दिसम्बर, 2016

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए)

द्वारा

व्यापार का उदारीकरण

भारत की जनता एवं कृषि पर इसका प्रभाव



सहयोग
रोज़ा लकजमबर्ग स्टिफ्टुंग,
दक्षिण एशिया

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए)

द्वारा

व्यापार का उदारीकरण

भारत की जनता एवं कृषि पर इसका प्रभाव

FOCUS
ON THE
GLOBAL
SOUTH



मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) द्वारा व्यापार का उदारीकरण :
भारत की जनता एवं कृषि पर इसका प्रभाव

लेखक : वेनेसा फिशर*

प्रकाशन : दिसम्बर, 2016

द्वारा प्रकाशित : फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ
और इस पुस्तिका 33-डी, तीसरी मंजिल, विजय मंडल एनक्लेव
की प्रतियां पाने डी.डी.ए. एस.एफ.एस. प्लैट्स, कालू सराय, हौज खास
के लिए संपर्क नई दिल्ली-110016
टेलीफोन : 91-11-26563588 , 41049021
<http://focusweb.org/>

सहयोग : रोजा लक्जमबर्ग स्टिफ्टुंग, साउथ एशिया
सेंटर फोर इंटरनेशनल कॉ-ऑपरेशन
सी-15, दूसरी मंजिल, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया मार्केट,
नई दिल्ली-110016
www.rosalux-southasia.org

"Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany."

"Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland"

आवरण फोटो साभार : अफसर जाफरी

डिजाइन एवं मुद्रण : इंडिगो, 9313852068

इस पुस्तिका की विषयवस्तु का इस शर्त के साथ बिना-रोक टोक के पुनर्मुद्रण और उद्धृत किया जा सकता है कि इस स्रोत का उल्लेख किया जाए। फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ उस प्रकाशित सामग्री को पाने पर आभारी रहेगा, जिसमें इस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।

यह एक अभियान प्रकाशन है और निजी वितरण के लिए है!

*वेनेसा फिशर जर्मनी में हमबोल्ट विश्वविद्यालय की एम.ए. की छात्रा है। जिसने फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ के अफसर जाफरी के नेतृत्व में ये शोध किया है।

विषय सूची

भूमिका	5
परिचय	7
व्यापारिक समझौते: मुक्त व्यापार आगे बढ़ाने का नया तरीका	9
भारत के अमल में आ रहे व्यापार समझौते और उनके असरों के कुछ उदाहरण	16
चर्चा के दौर में नये व्यापार समझौते	24
निष्कर्ष और सुझाव	34

भूमिका

मुक्त व्यापार समझौतों या एफटीए में भारत की संलग्नता पर केन्द्रित यह पुस्तिका बहुत ही ज़रूरी मौके पर आ रही है। उत्तर हो या दक्षिण, सारी ही दुनिया में मुक्त व्यापार की बुनियाद में छिपी नवउदारवादी विचारधारा अपनी स्वीकार्यता और वैधता खोती जा रही है। उसके सामने विश्वसनीयता का घनघोर संकट खड़ा हुआ है। नवउदारवादी नीतियों ने तमाम देशों में निजीकरण को बढ़ावा दिया है, नियम-कायदों और नियंत्रण को शिथिल किया है और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों ने वित्तीय संकट पैदा किये हैं, बेरोज़गारी फैलायी है, बेहद ख़राब कार्यस्थितियों और कम तनख्वाह वाले रोज़गार पैदा किए हैं, खेती में काम करने वाली मेहनतकश जनता को तबाह कर दिया है और पर्यावरण का सत्यानाश किया है। नवउदारवाद के कारनामों का सिलसिला यहीं नहीं थमता, बल्कि इसके भी आगे जाता है। इस बात के प्रमाणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है कि मुक्त व्यापार के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, उससे केवल 1 प्रतिशत उच्च अभिजात्य वर्ग का ही भला होता है। वो भी मज़दूरों की कीमत पर। इसी तथ्य का इस्तेमाल हाल में डोनाल्ड ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी राजनीतिकों ने अपने देश के मुक्त व्यापार समझौतों जैसे नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (नाफ़्टा) या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) की आलोचना करने में किया था।

इसके बावजूद भारत सरकार बहुत सारे विशालकाय व्यापारिक समझौतों पर वार्ताओं के साथ आगे बढ़ती जा रही है। इनमें क्षेत्रीय व्यापार के द्विपक्षीय समझौतों और निवेश के समझौतों की वार्ताएँ जारी हैं। पुस्तिका यह भी बताती है कि पहले किए जा चुके मुक्त व्यापार समझौतों के प्रतिकूल प्रभावों से भी भारत बच नहीं सका है।

भारत का पहला एफटीए सन 2000 में बहुत छोटे-से पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ हुआ था। वह एफटीए अपने आप में ही एक सबूत है कि अगर इस तरह के समझौते करने वाले देश अपनी राज्य सरकारों से सलाह मशवरा नहीं करेंगे और राज्यों की खेती की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो किसानों के एक बड़े तबके को आमदनी और आजीविका का बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। श्रीलंका वाले मामले में नुकसान केरल के किसानों को उठाना पड़ा। इसी तरह सन 2010 में आसियान (ASEAN) देशों और भारत के बीच के मुक्त व्यापार समझौते के असर से भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया क्योंकि भारत ने बहुत सारी संवेदनशील वस्तुओं के शुल्कों में गैर अनुपातिक शुल्क कटौतियों की रियायत दी थीं।

मौजूदा एफटीए पर और उनके असरों पर यह पुस्तिका समग्र परिप्रेक्ष्य में अंतर्दृष्टि देने की कोशिश करती है और भारत सरकार जिन नये समझौतों पर वार्ताएँ कर रही है उनके आशंकित खतरों के बारे में हमें आगाह करती है। जिन समझौतों पर वार्ताएँ जारी हैं उन में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी समझौते हैं योरपीय यूनियन और भारत के बीच का मुक्त व्यापार समझौता और 16 देशों के साथ हो रहा क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (आरसीईपी) (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP)।

इन समझौतों में कुछ चिंताजनक और चिंतन योग्य बातें सभी के लिए हैं। इन समझौतों से विदेशी निवेश तो होता है लेकिन उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश की सरकार या अन्य देशों की सरकारों को कानूनों में उलझाने का या मुकदमे में घसीटने का अधिकार भी मिल जाता है। इसी तरह बौद्धिक संपदा से संबंधित

नियम अगर लागू हुए तो उनसे घरेलू उत्पादन प्रभावित होगा, गरीबों की दवाइयों तक पहुँच बहुत मुश्किल हो जाएगी तथा जरूरी सामानों पर से नियंत्रण हटाए जाने वाली नीतियाँ फिर निजीकरण की रफ्तार बढ़ाएंगी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आरसीपी समझौते के समूह में आकर भारत के डेयरी क्षेत्र को बहुत लालच से ताक रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र लाखों-करोड़ों लोगों को रोजगार और खाना उपलब्ध कराता है।

विडम्बना ये है कि जब एक तरफ भारत सरकार खुद इन व्यापार समझौता वार्ताओं में सक्रिय दिलचस्पी ले रही है वहीं दूसरी तरफ खुद सरकार ही भारत के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है कि इन समझौतों से भारत को दरअसल क्या हासिल हुआ है? इस समीक्षा पर भी सरकार तब सहमत हुई है जब भारतीय उद्योग के कुछ हिस्सों ने ये शिकायत की और दबाव बनाया कि इन मुक्त व्यापारिक समझौतों से उनके उद्योग में जबरदस्त बेरोजगारी और निर्यातों में ठहराव आया है। पुस्तिका के अंत में बहुत उपयोगी अनुशंसाएं दी गयी हैं और अगर उन पर अमल हो तो इस नए दौर के विशालकाय मेगा एफटीए'ज के हमले से किसानों एवं मजदूरों की आजीविकाएँ बचाई जा सकती हैं तथा भारत की नीतियों के निर्धारण में जनहितैषी जगह बचाई जा सकती है।

हमें उम्मीद है कि ये पुस्तिका किसान समूहों, संगठनों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए उपयोगी साबित होगी जो भारत की व्यापार नीति और उसके प्रभाव जानना चाहते हैं. ये जानने से वे अपनी चिंताओं को ठीक तरह सूत्रबद्ध कर सकेंगे और भारत सरकार के नौकरशाहों और चुने हुए प्रतिनिधियों पर वैकल्पिक नीतियां अपनाने का दबाव भी बना सकेंगे।

बेन्नी कुरुवीला

परिचय

पिछले दो दशकों में व्यापार के उदारीकरण की नीति का अनुसरण करने वाले मुल्कों की तादाद बढ़ती जा रही है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। व्यापारिक उदारीकरण का जो भीषण असर भारत की खेती और भारत की आम जनता जिंदगी पर पड़ा है उसके बावजूद भारत सरकार के उदारीकरण या मुक्त व्यापार के प्रति उत्साह में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई है।

आमतौर पर व्यापार के उदारीकरण का आशय दो या दो से ज्यादा देशों या देशों के समूहों के बीच व्यापार के रास्ते में आने वाली अड़चनों को कम करना या पूरी तरह खत्म करना होता है। आमतौर पर व्यापार में दो तरह की अड़चनें आती हैं। एक आयात-निर्यात के शुल्क से संबंधित होती है और दूसरी व्यापार संबंधी शर्तों के संबंध में होती हैं जिनमें पर्यावरण की सुरक्षा, घरेलू बाज़ार की सुरक्षा, मज़दूर हितों की सुरक्षा जैसे मसले आते हैं। व्यापार को मुक्त करने या उदार बनाने के लिए दोनों ही तरह के अवरोध हटाने पड़ते हैं – शुल्क अवरोध भी और जिनमें आयात शुल्क, निर्यात सब्सिडी, और सरचार्जस और गैर शुल्क अवरोध जैसे स्वच्छता के मानक, कोटा और लाइसेंसिंग के नियम आदि आते हैं।

संभवतया पिछले 20 सालों में मुक्त व्यापार की प्रणाली को इतना ज्यादा प्रभावित और प्रोत्साहित करने वाला ऐसा कोई और प्रभावशाली उपकरण नहीं आया जैसा विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यू.टी.ओ.)। यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच व्यापार के नियम-कायदों का नियमन करने वाला संगठन है जो 1995 में गैट (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड)¹ से पैदा हुआ। तब से ही इसका लक्ष्य 'विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार को सुचारु, पूर्व अपेक्षित (जिसमें आकस्मिकताएँ न हों) और मुक्त तरह से चलाना सुनिश्चित करना था।'² जहाँ पहले गैट का दायरा सिर्फ वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, वहीं डब्ल्यूटीओ की शुरुआत के बाद दो नए समझौते उसके एजेंडे में जोड़े गए जिसने विश्व व्यापार संगठन को अधिक व्यापक क्षेत्र के व्यापार पर अधिकार दिया। यह दो समझौते थे – जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेस (गैट्स) यानी सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, और दूसरा ट्रिप्स यानी एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हिंदी में इसे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी व्यापारिक समझौते कहा जाता है। इन दो समझौतों का व्यापार पर असर ये हुआ कि पिछले 20 वर्षों में उदारीकरण का दायरा केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर सेवाओं और निवेश में और साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के समझौतों और प्रतिस्पर्धा के नियमों तक विस्तृत हो गया है। ऊपर से खेती पर हुए समझौते (एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या एओए) के तहत मुक्त व्यापार के निजाम को यह भी हक मिल गया है कि वह खेती के क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को अपने खेती के बाजार खोलने पर राजी करें और ऐसे सभी कदम हटाए जाएं जो मुक्त व्यापार के रास्ते में आड़े आते हैं, मसलन सब्सिडी या अपने देश के किसानों को किसानों को दिया जानेवाला समर्थन आदि। मुक्त व्यापार के पैरोकार इन सभी सुरक्षात्मक कदमों को 'व्यापार को विकृत' करने वाला मानते हैं। मामला यहीं नहीं रुका बल्कि विश्व व्यापार संगठन के पास अब विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापारिक विवादों को सुलझाने की अधिकार

¹ गैट (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड): ये 1948 से 1995 तक लागू रहा। ये एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता था जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगने वाले शुल्कों को कम करना, अन्य व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करना और पूर्व से चले आ रहे प्राथमिकता वाली प्रणाली (सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस) को हटाना था।

² WTO: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr00_e.htm

भी हैं जिसमें व्यापारिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों पर दंड का प्रावधान भी शामिल है। इस प्रणाली ने, और इसके साथ-साथ जो व्यापारिक अवरोधों को हटाने का कार्यक्रम चल रहा था, उसने भी अधिकांश सरकारों के लिए अपने देश की जनता के लिए, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में, कुछ भी हितकारी कदम उठाने की ताकत को बाँध दिया है और अब यह दिनोंदिन मुश्किल होता जा रहा है कि सरकार घरेलू स्तर पर खेती और निर्माण क्षेत्र को सुरक्षा देने वाली कोई नीतियाँ अपना सके। यह खासतौर से विकासशील देशों³ के लिए बहुत चिंताजनक है जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार की इस तरह की जनहितैषी नीतियों पर निर्भर रहता है।

पहले भी विकासशील देशों ने लगातार इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे खेती पर हुए समझौते से विकसित देशों को अपने सस्ते उत्पाद विकासशील देशों के बाजारों में उड़ेलने (डंप) करने की सुविधा हासिल हो जाती है। इससे तीसरी दुनिया के लाखों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका नष्ट हो रही है क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वह विकसित देशों की भारी-भरकम सब्सिडी प्राप्त खेती के उत्पादों का विश्व बाजार में मुकाबला कर सकें।

विकासशील और विकसित देशों के बीच इस तरह के मतभेदों के कारण विश्व व्यापार संगठन में व्यापारिक सौदों पर वार्ताओं की प्रक्रिया पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से रुकी हुई है।⁴ यद्यपि विकसित देशों ने, जिनका नेतृत्व अमेरिका और यूरोप कर रहे हैं, मुक्त व्यापार करने के नए-नए रास्ते निकाल लिए हैं। आज तथाकथित 'मुक्त व्यापार समझौते' (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) या एफटीए विकसित देशों की सबसे नई रणनीति है जिससे वह बाजार में अपनी ताकत और पहुँच बढ़ा सकें। चूँकि यह समझौते अपने साथ लाखों लोगों के लिए एक अनिश्चित भविष्य और अपरिभाषित परिणाम लेकर आते हैं इसलिए इन पर बहुत से सवाल उठना लाजमी हैं। इनमें सबसे प्रमुख सवाल तो यही होना चाहिए कि यह व्यापारिक समझौते भारत के लोगों को और अन्य विकसित देशों की आम जनता को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं? और क्या इस सवाल के जवाब को जाने बिना ही अभी नये समझौतों की वार्ताएँ चल रही हैं? अगर हाँ तो उन समझौतों के भारत की जनता पर निकट भविष्य में क्या असर होंगे?

यह पुस्तिका इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश आगे के 4 अध्यायों में करती है:

अध्याय 1 मुक्त व्यापार समझौते के बारे में सामान्य रूप से कुछ और विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करता है और बताता है कि ये समझौते किस प्रकार विश्व व्यापार संगठन से भिन्न हैं।

अध्याय 2 भारत में फिलहाल अमल में आ रहे कुछ व्यापारिक समझौतों के उदाहरण देता है और साथ ही देश के लोगों पर अब तक हुए उनके क्या असर रहे हैं, उनकी जानकारी देता है।

अध्याय 3 उन समझौतों पर रोशनी डालता है जो भी बातचीत की प्रक्रिया में हैं और यह बताता है कि खेती पर या दवाइयों जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर इन समझौतों के क्या असर संभावित हैं।

चौथा अध्याय अंतिम है जो इस पूरे विचार-विमर्श का समाहार करता है और इस नई, तथाकथित मुक्त व्यापार की प्रणाली पर हमें अपनी क्रिया-प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ विचार और परिप्रेक्ष्य देता है।

³ आज डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देशों में करीब दो-तिहाई देश विकासशील देश हैं। (WTO: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap6_e.pdf)

⁴ दोहा, कतर में 2001 में हुए डब्ल्यूटीओ के दोहा दौर में विकसित और विकासशील देशों में खेती पर दी जाने वाली सबसिडी और लगाये जाने वाले शुल्कों को लेकर बहुत असहमतियाँ थीं।

व्यापारिक समझौते: मुक्त व्यापार आगे बढ़ाने का नया तरीका

1. क्या होते हैं मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए? वह कैसे अलग हैं विश्व व्यापार संगठन से ?

मुक्त व्यापार समझौते या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए विश्व व्यापार संगठन या डब्ल्यूटीओ के अलावा दुनिया में व्यापार को उदारीकृत करने का आज का नया रास्ता है। ये बहुपक्षीय⁵ तरीके से काम करता है। एफटीए द्विपक्षीय समझौतों में काम करते हैं जिनमें दो देश या दो से अधिक देशों के समूह इस बात पर रजामंद होते हैं कि उनके बीच व्यापारिक समझौते में आने वाली रुकावट कम हो या पूरी तरह दूर हो। ऐसे समझौते करने के लिए देशों या देशों के समूहों को डब्ल्यूटीओ के दायरे में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए डब्ल्यूटीओ के नियमों से अगर उन्हें कहीं रुकावट हो रही हो तो वे एफटीए के सहारे आगे बढ़ जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है सर्वाधिक पसंद वाले देशों के साथ व्यवहार या मोस्ट फेवर्ड नेशंस (एमएफएन)⁶ ट्रीटमेंट। एफटीए इस सिद्धांत का एक तरह से अपवाद प्रस्तुत करता है।

भारत ने अपने पहले एफटीए पर पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ 1998 में हस्ताक्षर किये थे। उसके बाद अनेक अन्य देशों व देशों के समूहों के साथ यह समझौते किये गए। इसमें दक्षिण कोरिया, जापान, और आसियान देश शामिल हैं।

इसके अलावा ये मुक्त व्यापार समझौते और विश्व व्यापार संगठन न केवल अपनी संरचना में अलग-अलग हैं बल्कि उनके दायरे भी अलग-अलग हैं। हालाँकि मुक्त व्यापार समझौते सिर्फ द्विपक्षीय होते हैं लेकिन वह अक्सर उन दायरों को भी पार कर जाते हैं जो डब्ल्यूटीओ ने तय किये हुए हैं।

सबसे पहले तो दोनों में यही फर्क है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर तथाकथित 'बाध्यकारी शुल्क'⁷ निर्धारित हैं, जबकि मुक्त व्यापार समझौतों के अंदर ये शुल्क या तो सीधे ही हटा दिए जाते हैं या शून्य प्रतिशत तक घटा दिए जाते हैं। इससे व्यापार को खोलने ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा आक्रामक प्रणाली काम करने लगती है।

दूसरी बात यह है कि जहाँ एक ओर डब्ल्यूटीओ विकासशील और कम विकसित देशों को सुरक्षा के कुछ उपाय, कुछ विशेष प्रावधान⁸ और कुछ हद तक लचीलापन देता है, वहीं एफटीए आमतौर पर विकासशील

⁵ बहुपक्षीयता का आशय है किसी मसले पर अनेक देशों के बीच सहयोग होना। संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने स्वभाव में बहुपक्षीय हैं।

⁶ मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का प्रावधान बहुपक्षीय व्यापार पद्धति का मुख्य और बुनियादी सिद्धांत है। गैट का अनुच्छेद-1 (बिना भेदभाव व्यापार) कहता है 'जहाँ तक व्यापार के नियमों का मामला है, डब्ल्यूटीओ के हर सदस्य को हर अन्य सदस्य के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार में, अगर डब्ल्यूटीओ का कोई सदस्य देश किसी अन्य सदस्य देश के साथ व्यापार करने के लिए अपने देश के व्यापारिक या शुल्क अवरोधों में ढील लाता है तो वह सुविधा अन्य सदस्य देशों के लिए भी हासिल होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सदस्य देश अपन अलग-अलग व्यापारिक सहयोगियों के बीच फर्क नहीं कर सकते। गैट के अनुच्छेद 24 (वस्तु व्यापार) और गैट्स के अनुच्छेद 5 (सेवाओं में व्यापार) में ये व्यवस्था दी गई है कि एफटीए एमएफएन के अपवाद हैं।

⁷ जब कोई देश डब्ल्यूटीओ में शामिल हो जाता है तो उसे अधिकतम शुल्क तय करना होता है जिसे वो बाद में बढ़ा नहीं सकता। वो बाध्यकारी होता है इसलिए उसे बाउंड रेट कहते हैं।

⁸ अपने व्यापार को सुरक्षित करने के कदम के तौर पर डब्ल्यूटीओ अपने सदस्य देशों को अस्थायी तौर पर नियंत्रित 'इमरजेंसी' कार्रवाई (मसलन आयात को कुछ समय के लिए रोक देना या कम कर देना) की इजाज़त देता है ताकि वो देश अपने घरेलू उद्योग को ऐसे आयात से बचा सके जो उसे नुकसान पहुँचा रहा हो या पहुँचा सकता हो। https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm

देशों और बहुत कम विकसित देशों⁹ के लिए किसी भी तरह के सुरक्षा उपाय या विशेष प्रावधान की अनुमति नहीं देते।

तीसरी बात यह है कि मुक्त व्यापार समझौते उन क्षेत्रों में भी अपना विस्तार करते हैं जहाँ डब्ल्यूटीओ सीमित दायरे में ही रहा करता है। उदाहरण के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार का व्यापार संबंधी समझौता (ट्रिप्स) तथाकथित बौद्धिक संपदा अधिकार¹⁰ के कुछ न्यूनतम मानक स्थापित करता है। जबकि बहुत सारे मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए¹¹ ज डब्ल्यूटीओ द्वारा तय किए गए बौद्धिक संपदा व्यापार संबंधी मानकों से कहीं आगे चले जाते हैं और तथाकथित ट्रिप्स प्लस¹¹ प्रावधानों को सम्मिलित करने की माँग करते हैं जो ट्रिप्स से ज़्यादा छूट देते हैं।

और अंतिम बड़ा फर्क ये है कि मुक्त व्यापार समझौते उन क्षेत्रों को अपने दायरे में शामिल करते हैं जो डब्ल्यूटीओ से बाहर रखे गए थे जैसे शासकीय भंडारण। इसलिए यह एफटीए समझौते नई चुनौतियाँ और अनजाने परिणाम की आशंका खड़ी करते हैं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)	मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)
बहुपक्षीय	द्विपक्षीय
सर्वाधिक पसंद के राष्ट्रों (मोस्ट फेवर्ड नेशंस) के सिद्धांत को मानते हैं	पसंद के राष्ट्रों (मोस्ट फेवर्ड नेशंस) के सिद्धांत को मानने में अपवाद हैं
अधिकतम शुल्क निर्धारित है	शुल्क में घनघोर कमी की जा सकती है, शून्य प्रतिशत तक।
सुरक्षा के कुछ प्रावधान शामिल हैं	सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है
विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान	विकासशील देशों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं
वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार तक सीमित	नए क्षेत्र शामिल जैसे सार्वजनिक भंडारण
बौद्धिक संपदा अधिकारों के समझौतों में सीमित दायरा (ट्रिप्स)	बौद्धिक संपदा अधिकारों के समझौतों में दायरा विस्तारित किया (ट्रिप्स प्लस)

⁹ प्राथमिकता की सामान्य प्रणाली' विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ में अपने वायदे किये गए सौदों और शर्तों को पूरा करने के लिए अधिक समय देती है और विकसित देशों को किये गए उनके निर्यातों को एमएफएन के दायरे से बाहर रखता है (सिद्धांततः इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य विकसित देशों के लिए शुल्क कम किए बगैर ही विकासशील और बहुत कम विकसित देशों की मदद के लिए विकसित देश अपना शुल्क कम कर सकते हैं।)

¹⁰ डब्ल्यूटीओ का 'एग्रीमेंट ऑन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स' (ट्रिप्स) बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अपने सदस्य देशों के लिए कुछ न्यूनतम नियम बनाता है जैसे कॉपीराइट का नियम। सन 1994 में गैट के उरुग्वे दौर के अंत में इन पर सहमति हुई थी। सन 2001 में विकासशील देश विकसित देशों के ट्रिप्स संबंधी नियमों की संकुचित व्याख्या से चिंतित हुए और वार्ताओं के दौर शुरू किये जिसका नतीजा निकला 'दोहा घोषणापत्र' जो ट्रिप्स के दायरे को स्पष्ट करता है और साफ तौर पर कहता है कि ट्रिप्स की व्याख्या इस रोशनी में की जा सकती है और की ही जानी चाहिए कि 'उससे सभी की पहुँच दवाओं तक हो सके।'

¹¹ ट्रिप्स प्लस – बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित ऐसी कोई भी शर्त जो डब्ल्यूटीओ के तहत ट्रिप्स में तय शर्तों से अलग हों या आगे जाती हों।

मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए होने वाला व्यापार का उदारीकरण डब्ल्यूटीओ की तुलना में ज्यादा भीषण और खतरनाक दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर क्या वजह है कि विकासशील देश एक के बाद एक इस तरह के समझौतों पर दस्तखत करते जा रहे हैं? इसकी एक आंशिक वजह यह तथ्य भी हो सकता है कि अधिकांश मुक्त व्यापार समझौते विकासशील और विकसित देशों के बीच में किए जा रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते डब्ल्यूटीओ की तरह नहीं होते जहाँ विकासशील देश भी अकेले नहीं, संगठित होते हैं। इन समझौतों में विकासशील देश अपने आप पर ही निर्भर होते हैं। वहाँ यह गुंजाइश नहीं होती कि अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन बना लिया जाए और अपने से ज्यादा ताकतवर विकसित देशों के सामने इकट्ठे होकर अपने हक की बात की जाए। अतीत के तजुर्बो से यह ज़ाहिर है कि बहुत से विकासशील देश कोई और विकल्प ना होने के कारण इस तरह के व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हुए।

2. मुक्त व्यापार समझौतों के अलावा और किस प्रकार के व्यापारिक समझौते अस्तित्व में हैं?

उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए केवल एफटीए'ज ही द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते नहीं हैं। इस तरह के अन्य समझौतों में एक तथाकथित प्राथमिकता वाले व्यापारिक क्षेत्र (प्रिफरेंशियल ट्रेड एरियाज या पीटीए), समग्र आर्थिक सहयोग/साझेदारी समझौते (कंप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक कोऑपरेशन/पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स या सीईसीए/सीईपीए) तथा क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते (रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स या आरटीए) शामिल हैं। अगले खंड में यह बताया जाएगा कि ये किस तरह मुक्त व्यापार समझौतों या एफटीए से अलग हैं और कुछ ऐसे समझौते भी बताए जाएँगे जिन पर भारत पूर्व में हस्ताक्षर किए हैं।

अ) प्राथमिकता के व्यापारिक क्षेत्र: सकारात्मक (पॉजिटिव) और नकारात्मक (नेगेटिव) सूची

प्राथमिकता के व्यापार क्षेत्र या पीटीए समझौते आर्थिक संधि का सबसे ढीला-ढाला रूप हैं। प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया में दो या दो से अधिक देश कुछ उत्पादों पर से शुल्क कम करने के लिए राजी हो जाते हैं। यह उत्पाद पॉजिटिव सूची के अंदर परिभाषित किए जाते हैं। इसके विपरीत मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए के दायरे में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी व्यापार आ जाते हैं। अपवाद वाले व्यापार क्षेत्र एक नेगेटिव सूची के भीतर रखे जाते हैं जिसमें वे सभी उत्पाद रहते हैं जो शुल्क कम करने के दायरे से बाहर होते हैं। पीटीए पर हस्ताक्षर करना किसी देश का एफटीए की ओर बढ़ने में पहला कदम होता है। व्यापार के प्राथमिकता वाले समझौतों (पीटीए) और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बीच का फ़र्क धीरे-धीरे मिटता जाता है क्योंकि हर प्राथमिकता व्यापार क्षेत्र वाले समझौते यानी पीटीए का मुख्य ध्येय आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए बन जाना ही होता है। वर्ष 2016 तक भारत ने अफ़ग़ानिस्तान के साथ 2003 में, चीले के साथ 2007 में और दक्षिण अमेरिकी देशों के समूह मर्कोसुर¹² के साथ 2009 में प्राथमिकता वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

¹² मर्कोसुर या MERCOSUR दक्षिण अमेरिकी देशों का एक समूह है जो 1991 में उस क्षेत्र के विभिन्न सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और वस्तुओं, लोगों और मुद्रा के मुक्त आवागमन के लिए बनाया गया था। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैरागुवे, उरुग्वे और वेनेजुएला इसके पूर्ण सदस्य हैं। और इससे संबद्ध देशों में बोलीविया, चिले, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर और सूरीनाम हैं।

ब) समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) और समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए): शुल्क में कमी या शुल्क की समाप्ति

यह दो व्यापार समझौते व्यापार में आने वाली रुकावटें दूर करने के मकसद से किए जाते हैं लेकिन वे उन्हें पूरी तरह हटाना नहीं चाहते जैसा कि एफटीए में किया जाता है। जहाँ समग्र आर्थिक सहयोग समझौता केवल वस्तु व्यापार तक सीमित रहता है वहीं समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के दायरे में सेवाओं और निवेश का व्यापार भी आ जाता है। भारत ने समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता अब तक 2005 में सिंगापुर के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ 2010 में और जापान के साथ 2011 में किया है। समग्र आर्थिक सहयोग समझौता अभी तक भारत ने सिर्फ मलेशिया के साथ 2011 में किया था।

स) क्षेत्रीय व्यापार समझौता (आरटीए): व्यापाक संभावनाएँ या सीमित संभावनाएँ

क्षेत्रीय व्यापार समझौते कोई नयी अवधारणा नहीं है। वर्ष 2016 तक डब्ल्यूटीओ के पास क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के 635 नोटिफिकेशन प्राप्त हुए हैं। इनमें वस्तुओं, सेवाओं और अन्य चीजों के अलग-अलग समझौते शामिल हैं। इनमें से 423 अमल में हैं।¹³ इस तरह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग आधा हिस्सा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के जरिये होता है और लगभग सभी राज्य इस किस्म का कम से कम एक व्यापारिक समझौता कर चुके हैं।

क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को इस तरह भी समझा जा सकता है कि वे मुक्त व्यापार के गोल घेरे हैं जो तब तक बढ़ते और फैलते रहते हैं जब तक वे बहुपक्षीय समझौते (मल्टिलेटरल एग्रीमेंट) में तब्दील न हो जाएँ।¹⁴ आज डब्ल्यूटीओ में विभिन्न बहुपक्षीय वार्ताओं के दौरान तरक्की की कमी से उबरने के लिए सारी दुनिया की अनेक सरकारें ऐसे समझौतों का इस्तेमाल बढ़ती जा रही है। नतीजे के तौर पर – भले ही बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों की बातचीत 2001 में डब्ल्यूटीओ के दोहा दौर के बाद रुकी पड़ी हो – लेकिन दुनिया के स्तर पर एक से दूसरे मुल्कों के जुड़ने का और व्यापार करने का सिलसिला कतई नहीं थमा है और लंबे दौर में क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते (आरटीए) बहुपक्षीय ढाँचे (मल्टिलेटरल फ्रेमवर्क) को मजबूत करने में मददगार होंगे। होगा ये कि बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों द्वारा लंबे समय से उठाई गई अनेक मांगें दबा दी जाएँगी और डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों के विरोध से बच निकलने का कोई रास्ता तलाश लिया जाएगा और अंततः वह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जो 2001 से रुकी हुई है और जिसकी वजह से विकासशील देशों को थोड़ी राहत है।

क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों का हाल के वर्षों में लगातार बढ़ता जाता दायरा एक नई परिघटना है। इस दौर में हुए बहुत सारे क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र और दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को समेटते हैं। फिलहाल 3 विशाल क्षेत्रीय व्यापारिक समझौते हस्ताक्षर होने के नज़दीक हैं। यह हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी), ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप (टीटीआईपी) और रीजनल कंप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी)। भारत इनमें से रीजनल कंप्रिहेंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) का सदस्य है इसलिए हम इसके बारे में अध्याय 3 में विस्तार से बात करेंगे।

¹³ https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

¹⁴ "Regionalism in a Multilateral World," Wilfred J. Ethier, University of Pennsylvania Policy Paper

एफटीए'ज	पीटीए'ज	सीईसीए'ज / सीईपीए'ज	आरटीए'ज
सभी उत्पादों के लिए शुल्क में कमी (निगेटिव सूची में दर्ज कुछ अपवादों को छोड़कर)	केवल कुछ ही उत्पादों के लिए शुल्क में कमी जो पॉज़िटिव सूची में पाये जाएँ		
व्यापार के अवरोधों को पूरी तरह समाप्त कर देने का लक्ष्य		व्यापार के अवरोधों को कम करने का लक्ष्य	
छोटा दायरा (दो देशों या देशों के छोटे समूहों तक)			बड़ा दायरा (बड़े भूभाग और दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से तक)

2. मुक्त व्यापार समझौतों से आने वाली परेशानियाँ और उनके नकारात्मक प्रभाव

अब तक मुक्त व्यापार समझौतों और दूसरे व्यापारिक समझौतों के नकारात्मक असर साफ़ हो चुके होंगे। इस खंड में हम यह बताएँगे कि ऐसे समझौते अपनी प्रकृति में क्यों परेशानी की वजह होते हैं और इनके ठोस परिणामों के बारे में और लोगों की जिंदगी पर उनके असरों के बारे में विस्तार से बताएँगे।

(1) सौदे की वार्ता की प्रक्रिया

मुक्त व्यापार समझौतों में सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक तो उनकी अपारदर्शी प्रक्रिया है। समझौते की वार्ता में शामिल प्रमुख व्यक्ति लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए सरकार के या सार्वजनिक प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अफ़सरान होते हैं। दूसरी तरफ़ एनजीओ, मज़दूर संगठनों, किसान संगठनों जैसे नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों से किसी भी तरह का कोई सलाह-मशविरा नहीं किया जाता। न उन्हें बताया जाता है कि जो समझौता किया जा रहा है, उसके संबंधित समूह पर क्या असर होंगे। जो कागज बाहर आते हैं उनसे कुछ भी अर्थ निकाल पाना लगभग नामुमकिन होता है। लीक हो जाने वाले दस्तावेज ही एकमात्र सहारा होते हैं जिनसे कुछ पता चल सके कि क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। ये न केवल बहुत अलोकतांत्रिक है बल्कि इससे ये गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई मुक्त व्यापार समझौता करके सरकारें और कंपनियाँ लोगों की जिंदगी के स्तर को ऊपर उठाना चाहती हैं (जैसा कि वो दावा करती हैं) या उनका इमक़सद केवल कंपनियों का मुनाफ़ा है। अगर वे वाकई आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना भी चाहते हैं तो भी समझौता लागू करने वालों के लिए इतनी गोपनीयता का वातावरण बनाना क्यों आवश्यक है !

(2) एफटीए के होंगे दूरगामी व्यापक असर जबकि सुरक्षा के कोई उपाय मौजूद नहीं

इसकी एक वजह तो इन व्यापारिक समझौतों से होने वाले व्यापक बदलाव हो सकते हैं। पिछले खंड में जैसा हमने देखा कि मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए अक्सर शुल्क में भारी कटौती चाहते हैं। अगर उनका वश चले तो वह शुल्क को शून्य प्रतिशत के स्तर पर भी ले आएँ। दूसरी तरफ़, यह मुक्त व्यापार समझौते किसी तरह के कोई सुरक्षा उपाय नहीं अपनाते भले ही किसी देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही हो। मसलन किसी सीमित विशेष अवधि के लिए आयात शुल्क बढ़ाना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक कारगर कदम हो सकता है। लेकिन अगर एक बार मुक्त व्यापार समझौता हो गया तो उस देश को आयात-निर्यात शुल्क उताने ही कम करने होंगे जितना समझौते में तय हुआ है भले ही उस देश के घरेलू बाजार की हालत उससे कितनी ही खराब क्यों न हो जाए। यह खासतौर से उन विकासशील देशों के लिए बहुत ही खतरनाक है जो अपने देश की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के उपायों पर निर्भर रहते हैं। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते विकासशील देशों को किसी तरह की प्राथमिकता नहीं देते (जैसा सर्वाधिक पसंद वाले देशों या मोस्ट फेवर्ड नेशंस के संबंध में होता है)। ये सार्वजनिक भंडारण जैसे नये क्षेत्रों पर भी असर डालते हैं और कोशिश करते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकारों तक भी उनकी पहुँच बढ़े और इसके लिए वह ट्रिप्स प्लस प्रावधानों की माँग करते हैं।

(3) खेती के क्षेत्र किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के ऊपर दुष्प्रभाव

देखा ये जा रहा है कि विकासशील देशों की खेती, किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर मुक्त व्यापार समझौतों का असर बुरा पड़ रहा है। पिछले 20 वर्षों में डब्ल्यूटीओ ने भारत और तमाम अन्य विकासशील देशों के लोगों की जिंदगियों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। डब्ल्यूटीओ की नीतियों ने व्यापारिक घाटे पैदा की है, विकासशील देशों को आयात आश्रित बनाया है और कीमतों में काफी गिरावट आई है क्योंकि विकसित देश अपने उत्पादों पर भारी भरकम सब्सिडी देते हैं जिससे उनके उत्पाद सस्ते होते हैं और सस्ते आयातों से विकासशील देशों का घरेलू बाजार भर जाता है। इसके लिए भी व्यापारिक अवरोध हटाए जाते हैं। नतीजतन भारत में बनी हुई वस्तुओं की और खेती के उत्पादों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की कीमतों और उनके उतार-चढ़ाव पर काफी हद तक निर्भर हो गई है। डब्ल्यूटीओ की नीतियों के कारण जो भी नकारात्मक असर हुए हैं, उसमें एफटीए भी और इजाफ़ा करते हैं। हालाँकि एफटीए से होने वाले नुकसान उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं जो डब्ल्यूटीओ से हुए हैं। क्योंकि एफटीए से केवल शुल्कों में कमी ही नहीं लाई जाती बल्कि उन्हें पूरी तौर पर हटा भी दिया जाता है। मुक्त व्यापार समझौतों में बौद्धिक संपदा कानून के भी सख्त प्रावधान हैं। इससे किसानों की स्थिति और भी विकट हो गई है और बीज चुनने की आज़ादी व अपने बीजों पर उनका नियंत्रण लगभग ख़त्म हो गया है।

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य और जेनेरिक दवाइयों के खर्च को वहन करने की सुरक्षा

बौद्धिक संपदा अधिकारों के कड़े नियमों ने न केवल खेती के क्षेत्र को बड़े संकट में डाल दिया है बल्कि इससे लाखों लोगों की कम कीमत वाली दवाओं तक पहुँच घट गई है। इतना होने पर भी यह नियम सभी एफटीए समझौतों के भीतर नियमित रूप से शामिल रहता है। डब्ल्यूटीओ में जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का 'ट्रिप्स' कानून है, उसमें नई दवाओं के लिए 20 वर्षों का पेटेंट न्यूनतम मानक था लेकिन पेटेंट करवाना किस चीज

का है, यह फैसला पेटेंट करवाने वाले देशों के ऊपर छोड़ दिया गया था। मिसाल के तौर पर भारत ने इस लचीलेपन का इस्तेमाल पिछले वक्त में आम इस्तेमाल की जेनेरिक (आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएँ) दवाईयाँ बनाने में किया जो तीसरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुईं। इस मामले में दशकों से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अपनी दवा कंपनियों के साथ एकमत हैं कि ट्रिप्स प्लस प्रावधानों को वैश्विक स्तर पर लागू कर दिया जाना चाहिए ताकि ट्रिप्स के द्वारा विकासशाली देशों को जो रियायत और लचीलापन हासिल हो जाता है, वह पूरी तरह खत्म हो जाए और जेनेरिक सस्ती दवाइयों के उत्पादन पर नियंत्रण किया जा सके। उनकी नई रणनीति यह है ट्रिप्स प्लस को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का हिस्सा बना दिया जाए। वर्ष 2016 तक अनेक देश जिसमें ब्राजील, चीन और कुछ मध्य अमेरिकी राज्य शामिल हैं, उन्हें शर्तों पर राजी होना ही पड़ा।

(5) निवेशक और राज्य के बीच विवाद का निपटारा

एफटीए समझौतों की वार्ताओं को गोपनीय रखने का एक कारण तथाकथित निवेशक और राज्य के बीच मतभेद के निपटारे का तथाकथित नियम (इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट या आईएसडीएस) भी हो सकता है। यह मतभेद ऐसे मनमाने न्यायालयों द्वारा निपटाए जाते हैं जो बड़े कॉरपोरेशनों और कंपनियों को यह अधिकार देता है कि वह अन्य देश की सरकार को व्यापारिक नियमों के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में खींच सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम लागू करने या उनमें सुधार लाने जो के सरकार के अधिकार होते हैं उनमें एफटीए समझौतों की वजह से राज्य की क्षमता काफी सीमित हो जाती है। इसकी एक मिसाल ये है कि 1997 में अमेरिकी कंपनी इथाइल कॉरपोरेशन ने कनाडा की सरकार को अदालत ही कटघरे में खड़ा कर दिया था जब कनाडा नाफ्टा के तहत समझौते से बँधा हुआ था। कनाडा ने इथाइल कॉरपोरेशन कंपनी को पेट्रोल में 1 जहरीले पदार्थ एमएमटी की मिलावट से रोका था और एक पर्यावरणीय कानून के तहत उस पर मुकदमा लगाया था। इसके बाद निवेशक और राज्य के बीच विवाद निपटाने वाले न्यायालय ने तय किया कि कनाडा को 25.1 करोड़ डॉलर इथाइल कॉरपोरेशन को देने होंगे क्योंकि कनाडा की सरकार ने कंपनी की वर्तमान और भविष्य के मुनाफ़े की संभावनाओं को छीन लिया है।¹⁵ ये और भी दिलचस्प है कि इस तरह के निवेशक और राज्य के बीच विवाद निपटाने में कोर्ट केवल एकतरफ़ा काम करते हैं। अगर कोई कंपनी या कॉरपोरेशन मजदूरों के मानव अधिकारों या श्रम अधिकारों का उल्लंघन करने की दोषी पायी जाए या पर्यावरणीय विनाश या कर चोरी की दोषी हो तो ये संभावना लगभग न के बराबर होती है कि सराकार उस कॉरपोरेशन के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही कर सके।

¹⁵ <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/212/45381.html>

भारत के अमल में आ रहे व्यापार समझौते और उनके असरों के कुछ उदाहरण

अ) कार्यशील या अमल में आ रहे समझौते

समझौते का नाम	देश/एक से अधिक देश: भारत +	कब से कार्यशील हैं
भारत—प्रशांत व्यापार समझौता (APTA) भारत—मालदीव व्यापार समझौता	बांग्लादेश, चीन, लाओ गणतंत्र, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका मलदीव	जुलाई, 1975 अप्रैल, 1981
ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड "प्रिफरेंसेज अमंग डेवलपिंग कंट्रीज़ (GSTP)	अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बेनिन, बोलीविया, ब्राज़ील, केमरून, चिले, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वेडोर, मिस्त्र, घाना, गिनी, गुयाना, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, उत्तरी कोरिया, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, मोज़ांबिक, म्यांमार, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरु, फ़िलिप्पाइंस, सिंगापुर, श्रीलंका, सूडान, थाईलैंड, त्रिनिडाड और टोबैगो, ट्यूनीशिया, तंज़ानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, जिम्बाब्वे।	अप्रैल, 1989
भारत—श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (ISLFTA)	श्रीलंका	मार्च, 2000
भारत—नेपाल व्यापार समझौता	नेपाल	मार्च, 2002
अफ़ग़ानिस्तान—भारत व्यापार समझौता	अफ़ग़ानिस्तान	मई, 2003
भारत—थाईलैंड एफटीए	थाईलैंड	सितंबर, 2004
भारत—सिंगापुर सीईसीए	सिंगापुर	अगस्त, 2005
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)	अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका	जनवरी, 2006
बांग्लादेश—भारत संशोधित व्यापार समझौता	बांग्लादेश	अप्रैल, 2006
भूटान—भारत व्यापार समझौता	भूटान	जुलाई, 2006
चिले—भारत पीटीए	चिले	सितंबर, 2007.

भारत-मर्कोसुर पीटीए	मर्कोसुर	जून, 2009
आसियान-भारत एफटीए	आसियान	जनवरी, 2010
भारत-कोरिया सीईपीए	दक्षिण कोरिया	जनवरी, 2010
भारत-मलेशिया सीईसीए	मलेशिया	जुलाई, 2011
भारत-जापान सीईपीए	जापान	अगस्त, 2011

ये साफ़ ज़ाहिर है कि 21 वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ ही भारत व्यापारिक समझौते करते हुए व्यापार के उदारीकरण का रास्ता अपनाएने का निर्णय ले चुका है। सन 2000 में अपने पड़ोसी श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने बहुत सारे देशों के साथ बहुत सारे व्यापार समझौते किए हैं, जिनमें कुछ अत्यंत विकसित देश भी शामिल हैं जैसे जापान, सिंगापुर या दक्षिण कोरिया। इससे और ज़्यादा सवाल उठते हैं। सबसे प्रमुख सवाल है कि क्या यह समझौते भारत की जनता के लिए फ़ायदेमंद है? और इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ 'नहीं' है। भारत के लोगों को अब तक इन समझौतों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आगे हम इस बारे में भारत द्वारा हस्ताक्षरित कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों का ब्योरा देंगे और उनसे भारत की जनता को क्या नुकसान हुए हैं, इस बारे में बताएँगे।

ब-प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों के असर

अ) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता (साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या साफ़टा)

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता यानी साफ़टा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के देशों (सार्क) के बीच व्यापार और निवेश को उदार बनाने की एक कोशिश है। यह समझौता जनवरी 2004 में किया गया था। वर्ष 2006 से यह अमल में आया और 10 वर्षों के लिए इसने शुल्क में कमी उपलब्ध कराई। वर्ष 2016 तक साफ़टा प्रभावी तरीके से अमल में नहीं लाया जा सका था। साफ़टा के ज़रिए भारत अपने निर्यात का मात्र 4.69 प्रतिशत निर्यात करता है और आयात तो सिर्फ़ 0.6 प्रतिशत का है। इस समझौते के प्रभावी तौर पर लागू न हो पाने के पीछे इस क्षेत्र के विभिन्न देश पैकेजिंग, टेस्टिंग और क्वेरेंटाइन जैसे गैर शुल्क अवरोधों को प्रमुख अड़चन मानते हैं। साफ़टा के सदस्य देशों में अनिश्चित राजनीतिक स्थितियों की भी भूमिका है क्योंकि इन देशों को घरेलू प्राथमिकताओं पर पहले ध्यान देना होता है।

ब) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता

भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता 28 दिसंबर 1998 को दिल्ली में किया गया था। यह अमल में 1 मार्च 2000 से आया। इस समझौते के तहत वस्तुओं के व्यापार क्षेत्र में धीरे-धीरे विभिन्न चरणों में शुल्क की पूरी तरह समाप्ति की जानी है। भारत इस बात पर सहमत हो गया था कि वह अगले 3 वर्षों में श्रीलंका की बहुत सारी की श्रंखला पर से शुल्क पूरी तरह समाप्त कर देगा, जबकि श्रीलंका भारतीय सामानों पर से अपना शुल्क पूरी तरह समाप्त करने के लिए 8 वर्ष की अवधि पर राजी हुआ था। एफटीए'ज सामान्यतया उन सभी उत्पादों को शुल्क मुक्त रियायत देते हैं जो नेगेटिव सूची में नहीं होती हैं। भारत की नेगेटिव सूची में श्रीलंका के 429 उत्पाद थे, वहीं श्रीलंका की नेगेटिव सूची में भारत के 1180 वस्तुएँ शामिल थीं। इसका मतलब यह

हुआ कि सन 2003 से श्रीलंका शुल्क मुक्त आधार पर अपने 4000 से ज़्यादा उत्पाद भारत को निर्यात कर सकता है।¹⁶

व्यापारिक शुल्कों में होने वाली कमी का सबसे भीषण असर पड़ा भारत के मसालों के व्यापार पर। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रीलंका से काली मिर्च और इलायची के सस्ते आयातों की वजह से केरल के मसाला उत्पादकों पर बहुत बुरा असर पड़ा क्योंकि भारत ने काली मिर्च और इलायची का आयात शुल्क मुक्त आधार पर किया था।¹⁷ बाद के वर्षों में भी काली मिर्च का आयात अप्रैल, 1999—मार्च, 2000 तक 1385.3 टन था जो अगले वर्ष अप्रैल 2004—मार्च 2005 के दौरान बढ़कर 4865.1 टन तक पहुँच गया था। भारत ने श्रीलंका से 2006, दिसंबर में यह कहा भी था कि वह अपने कालीमिर्च के निर्यात पर वक्ती तौर पर थोड़ी लगाम कसे ताकि स्थानीय किसानों को ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े लेकिन एफटीए की वजह से इस मामले में तहकीकात को मना कर दिया गया। सन 2015 तक श्रीलंका से होने वाली काली मिर्च का आयात काफी ज़्यादा हुआ है क्योंकि उनके यहाँ काली मिर्च के पौधे का एक सस्ता प्रकल्प मौजूद है जो 9500 से 9750 डॉलर प्रति टन काली मिर्च उपलब्ध कराता है जबकि इसी का भारतीय मूल्य 11400 प्रति टन बताया गया है। इसके अलावा भारत में आयात होने वाली काली मिर्च पर केवल 1 प्रतिशत सीएसटी¹⁸ लगाया जाता है जबकि केरल उस पर 4.6 प्रतिशत खरीदी टैक्स¹⁹ लगाता है। श्रीलंका की कालीमिर्च के अलावा बाकी मसालों का भारत में कुल आयात 2012 में बढ़कर 15000 टन हो गया था।²⁰ आसियान देशों के साथ एआईएफटीए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कालीमिर्च के आयात ज़्यादातर वियतनाम (कालीमिर्च का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक) और इंडोनेशिया से आ रहे हैं। सन 2015 में वियतनाम ने 9800 डॉलर प्रति टन की दर से और इंडोनेशिया ने 9700 से 9800 प्रति टन की दर से काली मिर्च का निर्यात किया था।

मसालों के आयात में अचानक आई तेजी के साथ ही नारियल तेल, नारियल तेल की खली, वनस्पति और चाय का आयात भी कुछ हद तक भारत—श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते की वजह से ही बढ़ा। नारियल तेल का 1999—2000 में आयात 3753.72 टन था जो 2004—05 में बढ़कर 11427.14 टन हो गया।

सी) आसियान—भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए)

आसियान—भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता जनवरी 2010 में भारत तथा 10 आसियान सदस्य देशों के बीच हुआ था। इनमें ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे। सन् 2008 के अनुमान के मुताबिक सब देशों को मिलाकर यह समझौता करीब 17

¹⁶ <http://www.srilankabusiness.com/pdf/indosrilankaedbfinal.pdf>

¹⁷ हालाँकि काली मिर्च को रियायत भी मिली हुई थी, लेकिन समझौते ने 2500 मीट्रिक टन मसालों के Although pepper was subjected to concessions, the agreement had set import tariffs for 2,500 Mt of spices at zero duties, making the once very profitable sector uncompetitive (http://www.business-standard.com/article/markets/black-pepper-prices-to-soften-soon-on-sri-lankan-import-115111600558_1.html).

¹⁸ CST (Central Sales Tax) is a form of indirect tax imposed only on goods sold from one state to another state, which particularly takes into account that the buyer and the seller needs to be in two different states.

¹⁹ http://articles.economictimes.indiatimes.com/2003-08-02/news/27521603_1_pepper-imports-pepper-prices-indian-pepper

²⁰ http://www.business-standard.com/article/markets/india-turns-net-importer-of-pepper-113022100810_1.html

लाख लोगों पर असर डालता है और इससे 2.75 खरब अमेरिकी डॉलर का जीडीपी साझा तौर पर बढ़ना चाहिए।²¹ इस समझौते के दायरे में वस्तुएँ, सेवाएँ और निवेश आते हैं।

शुल्क कम करने के लिए आसियान-भारत एफटीए के ग़ैर बराबरी पूर्ण रास्ते

आसियान-भारत एफटीए समझौते में हर आसियान सदस्य देश के साथ व्यापारिक शुल्क कम करने को लेकर भारत ने अलग-अलग वक्त और अलग-अलग शर्तों का निर्धारण किया हुआ। ऐसा ही भारत की ओर से भी सभी सदस्य देशों के साथ किया गया है। आसियान-भारत एफटीए समझौते में दो चीजें सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज़ लगती हैं। पहली ये कि आसियान-भारत एफटीए समझौते में शुल्कों में कमी उत्पाद की आधार दर पर तय होनी है। उत्पाद की आधार दर वो है जो 2007 में उत्पाद की लागू दर थी। यह निर्धारण प्रक्रिया डब्ल्यूटीओ से अलग है। डब्ल्यूटीओ में शुल्कों पर सहमति बनाने के लिए संदर्भ दर या रेफरेंस रेट हमेशा बाउंड रेट होता था जो सर्वाधिक पसंद वाले देशों के नियम यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के तहत किसी उत्पाद का अधिकतम रेट होता है। लगभग सभी मामलों में बाउंड रेट की तुलना में आधार दर काफी कम होती है इसलिए के मामले में भी यह काफी बड़ा अंतर पैदा कर देती है। खासतौर से खेती के उत्पादों के लिए ये और भयंकर होता है क्योंकि वहाँ शुल्क में कमी के परिणाम बहुत तेजी से दिखाई दे जाते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि भारत खुद शुल्क तय करने की वार्ता में आगे बढ़कर प्रमुख भूमिका निभाता देख रहा है। भारत ने अपनी ओर से शुल्क संरचना में काफी तेज़ और काफी ज़्यादा कटौती करने का प्रस्ताव दिया है जो जबकि आसियान सदस्यों ने बदले में उतना कुछ नहीं दिया।

आसियान-भारत एफटीए के समझौते में शुल्क श्रृंखलाएं 4 समूहों में विभाजित की गई हैं – पहला है नॉर्मल ट्रेक या सामान्य ट्रेक, दूसरा सेंसिटिव ट्रेक या संवेदनशील रास्ता, तीसरा स्पेशल प्रोडक्ट मतलब विशेष उत्पाद और चौथा अतिसंवेदनशील उत्पादों का समूह है। इसके साथ ही एक ऐसी रियायत सूची भी है जिसमें कुछ उत्पादों को राहत दी गई है।

शुल्क रेखा से बाहर रखे गए उत्पादों की सूची: आसियान-भारत एफटीए समझौता हर सदस्य देश को यह अनुमति देता है कि वो अपने कुछ उत्पादों के लिए अलग शुल्क रेखा चुन सकें। भारत ने अपनी शुल्क रेखा के 10.7 प्रतिशत भाग को इस प्रकार से चुना है। इस सूची में कुल मिलाकर 489 वस्तुएँ शामिल हैं जिसमें से 268 खेती के उत्पाद हैं। साथ ही वियतनाम को देखें तो वह अपनी शुल्क सूची की लगभग 18.3 प्रतिशत वस्तुएँ इस श्रेणी में रखता है। यह श्रेणी या सूची किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोची गई थी लेकिन क्योंकि सभी संवेदनशील उत्पाद सूचीबद्ध नहीं है इसलिए इस सूची से भी किसानों को कोई खास सुरक्षा पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती। पिछले वर्षों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि आसियान-भारत एफटीए समझौते में यह सूची कोई प्रभावी सुरक्षा या रियायत देने में असमर्थ है। क्योंकि अर्ध प्रसंस्कृत (सेमी प्रोसेस्ड) और प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) उत्पादों के आयात बढ़ गए हैं और जिन वस्तुओं को समझौते से बाहर रखकर उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश की गई थी, ये अर्ध प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत आयात उन उत्पादों के विकल्प की तरह आने लगे हैं। (उदाहरण के लिए मछली की कुछ किस्में रियायत सूची में पाई जा सकती हैं लेकिन उन्हीं किस्मों के प्रसंस्कृत रूप अक्सर सामान्य ट्रेक में पाये जाते हैं। काजू के मामले में भी कच्चे काजू शून्य टैरिफ

²¹ <https://knrajlibrary.files.wordpress.com/2016/07/harilal2010spb.pdf>

आधार पर आयात किए जा सकते हैं जबकि काजू के छिले हुए फल रियायत सूची में दर्ज हैं।)

उच्च संवेदनशील उत्पाद : आसियान-भारत एफटीए समझौते में अतिसंवेदनशील उत्पादों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। **श्रेणी ए** के तहत वह देश आते हैं जो सर्वाधिक पसंद वाले देशों (मोस्ट फेवर्ड नेशंस) की लागू दर को 50 प्रतिशत कम करना चाहते हैं। **श्रेणी बी** के तहत वह देश आते हैं जिन्हें लागू एमएफएन दरों को 50 प्रतिशत कम करना है **श्रेणी सी** के तहत लएमएफएन दरों में 25 प्रतिशत की कमी होगी। और आश्चर्य इस बात का है कि भारत ने इस ट्रेक में किसी एक भी शुल्क रेखा को नहीं रखा।

विशेष उत्पाद : ऐसा लगता है कि भारत के लिए एक अलग ही ट्रेक बनाया गया। आसियान-भारत एफटीए समझौते में विशेष उत्पादों की सूची में भारत ने सिर्फ 5 उत्पाद रखे हैं (कच्चा पाम तेल, प्रसंस्कृत पाम तेल, कॉफी, चाय और काली मिर्च)। आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते में भारत की शुल्क रेखा पर यह सभी उत्पाद मिलकर मात्र 0.3 प्रतिशत होते हैं। इन पाँच उत्पाद समूहों में भी शुल्क की कमी के समझौतों में कोई संगति नहीं है। सामान्य तौर पर विशेष उत्पादों के लिए शुल्क में कमी अति संवेदनशील उत्पादों से काफी ज्यादा होती है।

तालिका 2 : विशेष उत्पादों के लिए शुल्क कम करने का कार्यक्रम

शुल्क रेखा	आधार दर	1 जनवरी के बाद नहीं				31.12.2019
		2010	2013	2016	2019	
कच्चा पाम तेल	80	76	64	52	40	37.5
प्रसंस्कृत पाम तेल	90	86	74	62	50	45
कॉफी	100	95	80	65	50	45
काली चाय	100	95	80	65	50	45
काली मिर्च	70	68	62	56	51	50

टिप्पणी : इस मूल तालिका में वर्ष 2010 और 2019 के बीच के वर्षों की दरें दी हुई हैं।

स्रोत : Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations.

संवेदनशील ट्रेक : आसियान-भारत एफटीए समझौते में संवेदनशील ट्रेक में सूचीबद्ध उत्पादों के लिए दिसंबर 2016 तक आधार दरों को 5 प्रतिशत तक कम करना था लेकिन कंबोडिया, लाओस, म्यानमार और वियतनाम को 5 वर्ष और दिए जाएंगे ताकि वह अपना संवेदनशील ट्रेक समायोजित कर सकें।

सामान्य ट्रेक : आसियान-भारत एफटीए समझौते के सामान्य ट्रेक में 2 उपश्रेणियाँ हैं। इन्हें सामान्य ट्रेक एक और सामान्य ट्रेक दो नाम दिया गया है। सामान्य ट्रेक 1 के तहत सूचीबद्ध उत्पादों के लिए सभी भागीदार देशों को वर्ष 2013 तक सभी शुल्क पूरे तौर पर समाप्त करने थे। इससे आसियान-भारत एफटीए समझौते में भारत की शुल्क रेखा का 64 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ है। लेकिन फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस म्यानमार और वियतनाम को अपने-अपने शुल्क समाप्त करने के लिए 2018 तक का और अधिक

समय दे दिया गया है। सामान्य ट्रेक दो के तहत सभी भागीदार देशों को बाकी बचे हुए अपने-अपने शुल्क 2016 तक पूरी तरह समाप्त करने की बाध्यता थी। लेकिन फिर एक बार कंबोडिया, लाओस, म्यानमार और वियतनाम को इस बादशाह से बाहर कर दिया गया और उन्हें अधिक समय देते हुए 2021 तक की समय सीमा दी गई है। चूँकि सामान्य ट्रेक दो की श्रेणी के अंतर्गत भारत की शुल्क रेखा का 10.3 प्रतिशत हिस्सा आता है इसलिए कुल मिलाकर सामान्य ट्रेक में भारत की शुल्क सूची का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आ जाता है। शुल्क में कमी के प्रावधानों को देखते हुए भारत इस मामले में सबसे ज्यादा दुःप्रभावित हुआ है।

भारत-आसियान एफटीए समझौतों के तहत इन असमान ट्रेकों की वजह से अनेक सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला यह कि भारत ऐसे असमान ट्रेक्स के जरिए इतनी ज्यादा शुल्क कटौती को मान ही क्यों रहा है? कोई यह तर्क दे सकता है कि भारत की आधार दर सभी आसियान सदस्य देशों की आधार दरों की तुलना में काफी अधिक थी, लेकिन महज 4 वर्षों के दौरान आयातों पर वसूले जाने वाले शुल्क की भारत की औसत दर उन दरों से काफी कम हो चुकी थी जो आसियान देश भारत से वसूलते हैं (ब्रुनेई और सिंगापुर के अपवादों को छोड़कर)।

तो क्या भारत बहुत कम हासिल करने के लिए अपना बहुत कुछ दाँव पर लगा रहा है? जवाब साफ़ तौर पर 'हाँ' है। आसियान-भारत एफटीए समझौते के दक्षिण भारत के छोटे किसानों पर बहुत प्रतिकूल असर देखते हुए यह और भी सच लगता है। दक्षिण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के खेती और पर्यावरण संबंधी हालात काफी मिलते-जुलते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में बहुत सारे किसान लगभग वही उत्पाद पैदा करते हैं जो दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में एपजाते हैं। इन गर्म जगहों पर पैदा होने वाले उत्पादों में प्राकृतिक रबड़, नारियल, चाय, कॉफी, मसाले और काजू आते हैं। झींगा मछली, समुद्री मछली और ट्यूना मछली भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में समान रूप से पाई जाती है इसलिए भारत के मत्स्योद्योग पर भी काफी असर हुआ है।

काजू जैसे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख कृषि उत्पाद क्यों उस सूची में शामिल नहीं किये गए जिन वस्तुओं पर शुल्क हटाने या कम करने का निर्णय भारत सरकार के पास रहता? क्यों कच्चा पाम तेल, प्रसंस्कृत पाम तेल, कॉफी, चाय और काली मिर्च जो दक्षिण भारत के प्रमुख उत्पादों में से एक है, वह अतिसंवेदनशील सूची में शामिल नहीं है बल्कि विशेष उत्पादों के ट्रेक में शामिल है? अगर वह अतिसंवेदनशील ट्रेक में शामिल होते तो शुल्क की कमी के प्रभावों से उनका अधिक बचाव हो सकता था। आसियान-भारत एफटीए समझौता हस्ताक्षर किए जाने से पहले केरल सरकार ने भारत सरकार को 14 सौ उत्पादों की सूची दी थी और उन्हें नेगेटिव सूची में रखने के लिए कहा था, लेकिन आखिर में केवल 489 उत्पादों को ही भारत की नेगेटिव सूची में स्वीकार किया गया। इसका मतलब है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद अब आसियान-भारत एफटीए समझौते के तहत शुल्क कमी और समाप्ति के लिए खुल गए हैं।

आसियान-भारत एफटीए समझौते में शायद सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि हर आसियान देश अपनी शुल्क सूची में शामिल बहुत सारी वस्तुओं को नकारात्मक सूची में रख सकता था जबकि भारत 489 वस्तुओं को ही एक समग्र नेगेटिव सूची देने पर ही तैयार हा गया। इसका नतीजा ये होगा कि आखिर में भारत अपने बाज़ार का काफी बड़ा हिस्सा अन्य आसियान देशों को दे देगा और बदले में उसे उनके बाजारों तक बहुत कम पहुँच हासिल होगी।

आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का खेती पर असर

यह जल्द ही ज़ाहिर हो गया कि आसियान-भारत एफटीए समझौते के अंतर्गत शुल्क में कमी लाने के परिणाम प्रतिकूल होंगे। आसियान-भारत एफटीए के लागू होने के 6 वर्षों में भारत के 10 लाख से ज्यादा रबर पैदावार करने वाले किसान अपनी आजीविका खो चुके हैं क्योंकि वियतनाम और इंडोनेशिया से सस्ती रबर आयात की जा रही है। भारत सन 2013 तक रबर उत्पादन में आत्मनिर्भर था अब यह अधिकाधिक आयात पर निर्भर होता जा रहा है। आज की स्थिति में रबर की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर तक आ गई हैं और रबर का उत्पादन आयात से अधिक महँगा हो गया है। रबर उत्पादन की औसत लागत लगभग एक सौ साठ रुपए प्रति किलो है जबकि रबर बेचने की दर केवल लगभग 110 रुपए प्रति किलो है।²²

चाय, काजू और मछली पालन और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी यही होल हैं। हालाँकि मछली अपने अप्रसंस्कृत रूप में भारत की उन वस्तुओं की सूची में है जिस पर शुल्क का अधिकार भारत के ही पास है (एक्सक्लूसिव सूची)। लेकिन मछली से बनने वाले अधिकांश उत्पाद सामान्य ट्रेक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इसलिए उन पर भारी-भरकम शुल्क कटौती लागू होती है।

आसियान-भारत एफटीए समझौते से सबसे ज़्यादा प्रतिकूल तौर पर प्रभावित जो क्षेत्र रहा है वह है भारत की खाद्य तेल की अर्थव्यवस्था। हालाँकि पाम तेल भी एक्सक्लूसिव सूची में शामिल है किंतु दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से, विशेष रूप से थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस से नारियल के तेल के आयात सामान्य ट्रेक सूची में हैं। नतीजा यह हुआ कि समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह आयात अचानक तेजी से बढ़ गया। चूँकि नारियल तेल का इस्तेमाल भी पाम तेल की तरह भारत में खाद्य तेल के क्षेत्र में होता है और हमारे पास न पाम तेल में आत्मनिर्भरता रही और न नारियल तेल में। कुछ ही वर्षों के भीतर हम पूरी तरह आयातों पर आश्रित हो गए हैं और तब से अब तक दक्षिण भारत के अनेक किसानों ने अपनी आजीविकाएँ खो दी हैं।

क) भारत-मलेशिया समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

भारत और मलेशिया ने समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर 2011 में दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत वस्तुएँ सेवाएँ और निवेश आते हैं। इसके साथ ही यह अपने दायरे में आधारभूत संरचना के विकास, कल्पनाशील उद्यम, पर्यटन, लघु और मध्यम व्यवसाय, व्यावसायिक सुविधा, विज्ञान और तकनीकी, तथा मानव संसाधन विकास के लिए किए जाने वाले आर्थिक सहयोग को भी शामिल करता है। आसियान-भारत एफटीए समझौते की तुलना में भारत-मलेशिया समग्र आर्थिक सहयोग समझौता शुल्क में अधिक रियायत देता है। इसका काम तेज़ होता है और इसमें ऐसी वस्तुओं की सूची, जिन्हें शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाता है (एक्सक्लूजन की सूची) भी छोटी है। इसकी वजह से भारत में खाद्य तेल के क्षेत्र में संकट और भी गहरा हो गया है। पहले भी आसियान-भारत एफटीए समझौते के तहत जहाँ पाम तेल एक्सक्लूजन सूची का हिस्सा था, खाद्य तेल का क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों से नारियल तेल के सस्ते आयात की वजह से संकट में घिरा हुआ था। अब भारत-मलेशिया समग्र आर्थिक सहयोग समझौते के साथ मलेशिया से आने वाले खाद्य तेल के लिए आयात शुल्क, जिसमें पाम तेल भी शामिल है, शून्य प्रतिशत कर दिया गया है!

²² <http://scroll.in/article/801858/cheap-imports-imperil-a-million-rubber-farmers>

नतीजा यह हुआ है कि भारत का खाद्य तेल का बाज़ार अब मलेशिया से आने वाले सस्ते आयातों से पूरी तरह भर गया है और कीमतों में और भी गिरावट की आशंका की जा रही है।

म) जापान–भारत समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता, जापान–कोरिया समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता और भारत–सिंगापुर समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता

खेती के क्षेत्र के अलावा निर्माण का क्षेत्र भी उन व्यापारिक समझौतों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है जो भारत ने दूसरे देशों के साथ किए हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण–पूर्वी एशियाई देशों से भी तैयार/निर्मित वस्तुओं के सस्ते आयात की वजह से भारत का घरेलू निर्माण क्षेत्र ज़बर्दस्त दबाव महसूस कर रहा है (आसियान–भारत एफटीए समझौते के तहत तो ये हो ही रहा है) है। भारत–सिंगापुर समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की वजह से सस्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान सिंगापुर से आ जाता है और इससे स्थानीय उत्पादकों को स्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। भारत के निर्यात ठंडे पड़ गए हैं और भारत के निर्माण क्षेत्र को मुक्त व्यापार समझौते से कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है।²³

²³ http://www.business-standard.com/article/economy-policy/too-many-ftas-too-few-benefits-113062200623_1.html

चर्चा के दौर में नये व्यापार समझौते

पुराने जितने भी समझौते मुक्त व्यापार के नाम पर किये गए, उनसे हुए सभी नुकसानों को नज़रअंदाज करते हुए मौजूदा भारतीय सरकार नये-नये व्यापार समझौतों पर दस्तख़त करके व्यापार के उदारीकरण को तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ा रही है। मिसाल के तौर पर, अभी योरपीय यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैण्ड के साथ तमाम एफटीए दस्तख़त होने की बातचीत के दौर जारी हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय स्तर का विशालकाय व्यापारिक समझौता (रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी) भी प्रक्रिया में है। हालाँकि योरपीय यूनियन और भारत के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता और क्षेत्रीय भागीदारी निस्संदेह सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं लेकिन देखा जाये तो इन सभी समझौतों का असर केवल भारत और केवल किसानों पर ही नहीं, बल्कि समूची तीसरी दुनिया के देशों के लोगों की ज़िन्दगियों पर पड़ेगा। अगला खंड मोटे तौर पर इन नये समझौतों के बारे में और भविष्य में उनसे आसन्न आशंकाओं के बारे में बताता है।

नवम्बर, 2012 में इस विशालकाय क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आरसीईपी) पर बातचीत शुरू हुई थी और उम्मीद है कि ये 2016 ख़त्म होने तक पूरी हो जाएगी। एक बार इस संधि पर दस्तख़त हो गए तो आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का ब्लॉक बन जाएगा जो आसियान समूह²⁴ के 10 देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड, और वियतनाम) और छः अन्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की व्यवस्था बनाएगा। ये छः देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया जिनके साथ आसियान देशों के पहले से ही व्यापारिक सम्बन्ध हैं। ये सोलह देश मिलकर दुनिया की आबादी का 45 फ़ीसदी हिस्सा होते हैं। दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का करीब 30 फ़ीसदी और दुनिया के कुल निर्यातों का एक-चौथाई भाग इन 16 देशों से ही होता है।²⁵ आरसीईपी भारत का सबसे बड़ा एफटीए होगा और देश को इसके भीतर बड़े वायदे करने होंगे। ये वायदे उनके अतिरिक्त होंगे जो विभिन्न एफटीए के तहत देश पहले ही मलेशिया, आसियान देशों, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान से कर चुका है।

पारदर्शिता का अभाव: एफटीए की वही पुरानी कहानी

जैसा किसी भी अन्य मुक्त व्यापार समझौते में देखा गया है आरसीईपी में भी कतई पारदर्शिता नहीं है। यद्यपि आरसीईपी का दायरा बहुत व्यापक है और इसमें वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापार के साथ-साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिस्पर्धा और विवादों का निपटारा भी शामिल है। अब तक इसकी बातचीत के 13 दौर हो चुके हैं लेकिन किसी का भी कोई सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है। प्रभावितों या भागीदारों के साथ जिसमें किसान संगठन, मजदूर संगठन, मरीजों के समूह तथा सिविल सोसाइटी संगठन आते हैं— कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया और उन्हें आरसीईपी के प्रभावों की

²⁴ आसियान (दि एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) 10 दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का समूह है जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड, और वियतनाम हैं। ये 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर बनाया था। बाद में अन्य देश जुड़े। कंबोडिया इस समूह में सबसे बाद में 1999 में जुड़ा। आसियान अपने सदस्य देशों की सरकारों के बीच और आर्थिक गतिविधियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

²⁵ Asian Trade Centre: <https://static1.squarespace.com/static/5393d501e4b0643446abd228/t/5752a5c53c44d894bc2755cd/1465034186592/Policy+Brief+16-08+What+is+RCEP+2016+ATC.pdf> (retrieved 3rd August 2016)

जानकारी से वंचित रखा गया है। हालाँकि जो दस्तावेज़ लीक होकर बाहर आये हैं, बताते हैं कि आरसीपीई समझौते के इन समूहों पर काफी गंभीर असर होंगे। यह लोगों की दवाओं तक पहुँच पर, कर नीतियों पर, निवेशकों के अधिकारों और किसानों के बीज अधिकारों पर असर डालेगा।

निवेशक के अधिकार: किस तरह कर न्याय पर, पर्यावरणीय, स्वास्थ्यगत और सुरक्षा के नियमनों पर असर डालेगा निवेशक-राज्य विवाद निराकरण न्यायाधिकरण (इंवेस्टर्स-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट या आईएसडीएस)

सबसे पहले तो आरसीपीई से सबसे बड़ी चिंता निवेशक और राज्य के बीच होनेवाले विवाद की स्थिति में विवाद निपटाने के लिए न्यायालय की है। 'ट्रांस नेशनल इंस्टिट्यूट एण्ड ग्लोबल जस्टिस नाउ'²⁶ द्वारा किया गया एक हालिया शोध बताता है कि बहुत बड़े-बड़े निगम नियमित रूप से कैसे कानूनों और न्यायालयों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं ताकि वे उचित कर अदा करने से बच सकें। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि इन बड़ी-बड़ी कंपनियों ने निवेशकों को दी जाने वाली सुरक्षा के प्रावधान को विभिन्न व्यापारिक सौदों में 40 से अधिक टैक्स संबंधी झगड़ों में कम से कम 24 देशों को अदालत बुलवाया है। कुछ मामलों में उन्होंने अपने टैक्स बिलों को न्यायालय में चुनौती दी और टैक्स बिलों में कटौती करवाने में कामयाबी हासिल की।²⁷ इसके साथ ही, इन विवाद निपटाने के उपकरणों का निवेशक सिर्फ उचित कर अदायगी से बचने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पर्यावरणीय सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रावधानों से बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार अगर इस समझौते पर हस्ताक्षर हो गए तो यदि उन्हें लगता है कि किन्हीं सुरक्षात्मक कानूनों की वजह से उनका मुनाफ़ा कम हो रहा है तो आरसीपीई के ज़रिए निवेशकों को भारत सरकार पर न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने का अधिकार मिल जाएगा।

बौद्धिक संपदा अधिकार और वहन करने योग्य दवाओं तक पहुँच

इस मामले में दूसरी जो सबसे खतरनाक आशंका है, वह इस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों का खंड है। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर²⁸ ने लीक हुए दस्तावेज़ों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो कहती है कि इन सभी समझौतों में जापान और दक्षिण कोरिया काफी सख्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स प्लस किस्म के) के लिए जोर लगा रहे हैं। यदि यह समझौता अमल में आता है तो दुनिया के करोड़ों लोगों की पहुँच से दवाएँ बाहर हो जाएँगी।

आरसीपीई द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक संपदा अधिकारों का खंड कहता है:

1. पेटेंट की अवधि का बढ़ाया जाए (आर्टिकल 5.13 में)
2. जानकारियों की विशिष्टता बरती जाए (आर्टिकल 5.16 में)

फिलहाल जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स समझौता है, उसके अंतर्गत फार्मास्युटिकल्स कंपनियों को किसी दवा को

²⁶ http://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-06-22/news/73946520_1_asean-countries-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep

²⁷ <http://www.world-psi.org/en/rcep-threatens-tax-policies-india-and-other-15-countries>

²⁸ <http://www.world-psi.org/en/rcep-threatens-tax-policies-india-and-other-15-countries>

पेटेंट करवाने पर 20 वर्ष का पेटेंट के कॉपीराइट अधिकार दिया जाता है। जिन दवा कंपनियों के पास पेटेंट होता है वह उस नई दवा का एकाधिकार रखते हैं और उसकी ऊँची कीमत वसूल करते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि नई खोज करने के लिए यह एक प्रोत्साहनकारी कदम होता है और साथ ही नई दवाओं पर और आगे की शोध करने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। बीस वर्ष बाद पेटेंट समाप्त हो जाता है तो दूसरी कंपनियां मूल ब्रांड की दवा का जेनेरिक (आम इस्तेमाल के लिए) तौर पर सस्ते में उत्पादन कर सकती हैं। भारत ऐसी सस्ती जेनेरिक दवाइयों को दशकों से बनाता रहा है और तीसरी दुनिया के लाखों-करोड़ों लोगों को यह सस्ती दवाइयाँ इसी तरह उपलब्ध होती आ रही हैं। अखबारों में छपे कुछ लेखों के मुताबिक आरसीईपी की वार्ताओं में अब बहस कॉपीराइट के 70 वर्ष तक के कर दिये जाने पर हो रही है।²⁹ इससे न केवल फार्मास्युटिकल्स कंपनियों को अपना एकाधिकार बनाए रखने का मौका मिलेगा और वे लंबे समय तक ऊँची कीमत वसूल करती रहेंगी बल्कि इससे जेनेरिक दवाओं के आने में भी देरी होगी।

दूसरी ओर, जानकारी को ख़ास बनाए रखने और उसे सार्वजनिक न करने से इन ताकतवर कंपनियों और कॉर्पोरेशनों को क्लीनिकल ट्रायल के डाटा पर विशेष अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बाहर आई जानकारी के मुताबिक ऐसे डाटा पर कब्ज़ा जमाए रखने की अवधि 5 साल हो जाएगी। इस अवधि में जेनेरिक दवाओं को बनाने वाले अपनी दवाई सूचीबद्ध नहीं करवा पाएँगे। इस तरह डाटा को ख़ास बनाए रखने से प्रतिस्पर्धा को दरअसल एक रुकावट पैदा होगी और बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनियों को पिछले दरवाज़े से एकाधिकार बनाने की या एकाधिकार कायम रखने की सुविधा दी जाएगी। भले ही उनकी किसी दवा से पेटेंट की अवधि समाप्त ही क्यों न हो गई हो। इसका एक मायना यह भी है कि भारत में जेनेरिक दवाओं के उत्पादनकर्ताओं को क्लीनिकल परीक्षण दोहराने होंगे ताकि वे नया डाटा उपलब्ध कर सकें। यह प्रक्रिया काफी खर्चीली होगी और इसमें बहुत वक्त भी लगेगा जो विकासशील देशों की, बनिस्बत छोटी कंपनियाँ वहन नहीं कर सकती हैं।

यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय या कानूनी नज़रिए से पेटेंट की अवधि को बढ़ाना या फार्मास्युटिकल कंपनियों के परीक्षण डाटा को विशिष्ट बना देना हरगिज़ आवश्यक नहीं है। डाटा को सार्वजनिक न करना और पेटेंट की अवधि को बढ़ाना कतई बाध्यकारी नहीं है। डाटा को अपने तक रखना और पेटेंट की अवधि को बढ़ाना, यह उन शर्तों से कहीं आगे की चीज़ है जो डब्ल्यूटीओ के तहत देशों को मानना होती है। डब्ल्यूटीओ में 14 नवंबर 2001 को दोहा में हुई मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस में 'ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में दोहा घोषणापत्र' स्वीकार किया गया था। वह कहता है कभी भी, किसी भी सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट से निपटने से रोकने में ट्रिप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसीलिए इसमें विकासशील देशों के लिए कुछ रियायत के प्रावधान किए गए ताकि ज़रूरी दवाइयों तक लोगों की पहुँच बेहतर हो सके (जैसे लाइसेंस अनिवार्य किये गए, समांतर आयात के इंतज़ाम किये गए, जानकारीयों और आँकड़ों को अपने पास रखने की सीमा तय की गई)। दोहा दौर के बाद विकसित देश वापस अपने-अपने दवा कंपनियों के विशाल व्यवसाय के साथ सुर में सुर मिलाने लगे और उन्होंने दोहा घोषणापत्र के असर को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यापारिक समझौते किए जिनमें बौद्धिक संपदा अधिकार के सख्त प्रावधान शामिल थे जिन्हें ट्रिप्स प्लस कहा जाता है।

²⁹ https://www.msfaaccess.org/sites/default/files/IP_RCEP_MSFA_briefing%20document__June2016-ENG-2016.pdf

खेती: बौद्धिक संपदा अधिकार और बीजों पर अधिकार, बढ़ते आयात और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा

आरसीपीई के भारत की खेती और डेयरी के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव होना साफ दिखता है क्योंकि डेयरी और खेती के उत्पादों पर आयात शुल्क घटने से हमारे देश का बाजार नए-नए आयातों से भर जाएगा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो मुक्त व्यापार समझौता चीन के साथ किया है उससे ज़ाहिर है कि यह दोनों देश अपने डेयरी और खेती के उत्पादों के लिए और बड़ा बाजार चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कृषि बाजार अपने आप में दूसरे विकसित देशों से अलग और अलग हैं क्योंकि वहाँ की सरकारें खेती के क्षेत्र को सीधे सब्सिडी नहीं देती हैं। एक बार अगर आरसीपीई संधि पर दस्तख़त हो गए तो भारत के किसानों के लिए खेती बहुत मुश्किल हो जाएगी और इन दोनों देशों से अगर खेती के उत्पादों का निर्यात होता है तो हमारे देश का खेती का बाज़ार उनके आयातों से भर जाएगा। भारत के औसत किसान की स्थिति न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के किसानों की तुलना में बहुत असमान है। न्यूजीलैंड को ही लें अभी डेरी उत्पादों और भेड़ के माँस का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। साथ ही, फलों और समुद्री खानपान की वस्तुओं का भी बड़ा निर्यातक है। आज की तारीख में न्यूजीलैंड जानवरों से बनने वाले 7500 उत्पाद तथा 3800 से ज़्यादा डेयरी उत्पाद हर महीने सौ देशों को निर्यात करता है। वहाँ होने वाले कुल कृषि उत्पादन का 95 प्रतिशत निर्यात होता है। न्यूजीलैंड अपने किसानों को सीधे सब्सिडी नहीं देता है लेकिन वहाँ की खेती की ख़ासियत खेती संबंधी शोधकार्य में निवेश और नये-नये प्रयोग हैं। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड की सरकार लगभग तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर का सालाना निवेश अपनी खेती के क्षेत्र के शोध और विकास पर करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वहाँ कृषि उत्पादकता बहुत बढ़ गई है और निर्यात के लिए सस्ते उत्पादों पर मुनाफ़े ही काफ़ी गुंजाइश है।³⁰

क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले समझौते (आरसीपीई) में शुल्क का उदारीकरण

अख़बार बताते हैं कि चीन और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर भारत ने अगले दस वर्षों में शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने की एक त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाने की योजना बनाई है। ये तीन स्तर इस आधार पर काम करते हैं कि क्या उस देश का पहले से आरसीपीई के किसी सदस्य देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है या नहीं? भारत के लिए इस तरह की प्रणाली अपनाने के निम्नलिखित आशय हो सकते हैं:

- पहले स्तर पर आसियान देशों के लिए 80 प्रतिशत वस्तुओं पर से शुल्क समाप्त करना होगा। इसमें से भी 65 प्रतिशत तो समझौते में दाख़िल होते ही सीधे ख़त्म हो जाएगा और बाकी 15 प्रतिशत अगले 10 वर्षों के भीतर ख़त्म करना होगा।
- दूसरे स्तर पर, दक्षिण कोरिया और जापान को बेची जाने वाली वस्तुओं में से 65 प्रतिशत पर शुल्क पूरी तरह हटाया जाएगा। बदले में ये दोनों देश अगले दस वर्षों में अपनी शुल्क रेखा में 80 प्रतिशत की कमी लाएँगे।

³⁰ <http://www.msf.org/en/article/access-campaign-new-threat-against-affordable-medicines-trade-negotiations-india-and-asean>

- तीसरे स्तर पर चीन, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए शुल्क रेखा में 42.5 प्रतिशत कमी लाई जाएगी और यह देश भारत के लिए अपनी शुल्क रेखाओं में क्रमशः 42.5 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की कमी लाएँगे।

वार्ताओं के दौर में आसियान देश, जापान और ऑस्ट्रेलिया लगातार निशुल्क उदारीकरण के त्रिस्तरीय ढाँचे का लगातार विरोध करते रहे हैं। इसकी जगह उनका प्रस्ताव एक-स्तरीय व्यवस्था का है जहाँ सभी आरसीपीई सदस्य देशों को शुल्क सूची में कटौती की समान सुविधा प्राप्त होगी।³¹ अगर ऐसा होता है तो इससे भारत के उत्पादों को और भी भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि सितंबर 2016 तक जो हालात थे उनके मुताबिक एक-स्तरीय व्यवस्था के लागू होने के आसार ही ज़्यादा लग रहे हैं।

फिलहाल भारत के लिए ये अच्छी बात है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के अंतर्गत, अगर आयात बढ़ने से घरेलू बाज़ार पर संकट आए तो सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए भारत अस्थाई रूप से अनेक प्रमुख खाद्य पदार्थों पर शुल्क बढ़ा सकता है। डब्ल्यूटीओ के इन सुरक्षा नियमों को आरसीपीई समझौता समाप्त कर देगा। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में भारत का खेती का संकट और गहरा होगा जिससे भारत के खेती के व्यापार में भी कमी आएगी और दीर्घावधि में खेती पर निर्भर लोगों की संख्या मजबूरी में घट जाएगी।³²

इसके साथ ही आरसीपीई समझौते से भारत के प्रमुख खाद्यान्नों, मुख्यतया गेहूँ और चावल के निर्यात पर से रोक हट जाएगी। अभी तक भारत में इन खाद्यान्नों के निर्यात पर खाद्य सुरक्षा के चलते रोक लगा रखी है। आरसीपीई पर दस्तख़त होने से खाद्य सुरक्षा भी ख़तरे में पड़ सकती है।

इसके अलावा आरसीपीई समझौते का बौद्धिक संपदा अधिकार खंड सिर्फ वहन करने योग्य जेनेरिक दवाइयों पर ही संकट पैदा नहीं करता, बल्कि वह भारत के किसानों के लिए बीज चुनने की आज़ादी पर भी संकट खड़ा कर सकता है। 'बायोपायरेसी' नाम से प्रचलित यह शब्द बड़े व्यापारिक घरानों और कंपनियों के द्वारा पारंपरिक ज्ञान का मुनाफ़े के लिए दोहन करने के अर्थ को खुद में छिपाए है। सभी मुक्त व्यापार समझौतों की तरह आरसीपीई में भी यह धड़ल्ले से प्रचलित है। ट्रिप्स प्लस के प्रावधान बड़ी कंपनियों—कॉरपोरेशनों को तो एकाधिकार की सुविधा देते हैं लेकिन विकासशील देशों में किसानों और स्थानीय समुदायों के द्वारा पीढ़ियों से संचित किए गए विशाल ज्ञान भंडार की रक्षा करने का कोई प्रावधान या जतन नहीं करते। अमेरिका और योरपीय संघ की महाकाय कंपनियों ने ऐसे बहुत सारे संसाधनों का पेटेंट करवा लिया है जो वह विकासशील देशों से बिना अनुमति और स्थानीय समुदायों की जानकारी के बिना अपने देश ले आए थे। अब तक आयाहुआस्का, बर्बास्को, किनोवा और हल्दी पर पेटेंट दिए जा चुके हैं। यह सभी विकासशील देशों के किसानों द्वारा उपजाए और विकसित किए गए पेड़, पौधे और फल हैं। इन अन्यायपूर्ण नियमों की वजह से किसान और स्थानीय समुदाय अपने ही ज्ञान से उपजे और उपजाए हुए उन प्राकृतिक संसाधनों और पेड़-पौधों से दूर हैं। वही मुक्त भाव से अपना ज्ञान और ये जैविक संसाधन सबसे बाँटते थे लेकिन अब पेटेंट की वजह से इनका मालिकाना हक़ विदेशी कंपनियों के पास चला गया है।

³¹ <https://www.nzte.govt.nz/en/buy/our-sectors/agribusiness/>

³² [http://www.ecofair-trade.org/content/ambitious-trade-liberalisation-and-indian-agriculture\)](http://www.ecofair-trade.org/content/ambitious-trade-liberalisation-and-indian-agriculture)

निर्माण क्षेत्र भीषण नुकसान की ओर अग्रसर

आरसीपीई समझौता भारत के निर्माण क्षेत्र के लिए भी संकट पैदा करेगा। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान बने-बनाए तैयार सामान के निर्यात के मामले में बहुत अग्रणी है। आरसीपीई में यह तीनों देश भागीदार हैं। चीन के बारे में तो ये सबसे ज्यादा सच है। वर्ष 2015 में चीन के साथ भारत के व्यापार में घाटा बढ़कर 51.8 अरब डॉलर हो गया। भारत ने चीन को 9.6 अरब डॉलर के निर्यात किए थे जबकि चीन से आयात किए गए सामान का कुल मूल्य 61.5 अरब डॉलर था। वह भी तब जब भारत ने चीन से होनेवाले सस्ते और कम कीमत के आयातों से अपने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए चीन के सामानों पर अनेक बार एंटी डंपिंग शुल्क भी लगाया था। एक बार आरसीपीई समझौता अमल में आया तो भारत इस तरह के सुरक्षात्मक उपाय इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नतीजा आयात की भरमार में निकलेगा और छोटे और मझोले आकार के भारतीय व्यवसायियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुमकिन नहीं रह जाएगा।

बी) यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता: द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का समझौता

यूरोपीय संघ और भारत के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता 2007 में शुरू हुई थी। इसे 'द्विपक्षीय व्यापार व निवेश समझौता' भी कहते हैं। सितंबर, 2016 तक इस समझौते की वार्ताओं के सात दौर पूरे हो चुके थे। इस मुक्त व्यापार समझौते का मकसद भारत और योरपीय संघ के देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाना है। योरपीय संघ कुछ मुक्त व्यापार समझौते पूर्व में भी भारत के साथ कर चुका है। उनके अनुभवों से यह ज़ाहिर है कि मुक्त व्यापार समझौते करके योरपीय संघ की भारत की खेती के व्यापार में दाखिल होने में, ट्रिप्स प्लस प्रावधान लागू करने में और विदेशी निवेश और निवेशकों के अधिकारों की मज़बूत सुरक्षा हासिल करने में बहुत दिलचस्पी है। साफ़ ज़ाहिर है कि अगर भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो भारत के लोगों के लिए, किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके नतीजे काफी ख़राब निकलेंगे।

यूरोपीय संघ वस्तुओं के व्यापार में शुल्क में कमी चाहता है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल और शराब व स्पिरिट। इसी के साथ योरपीय संघ भारत के डेयरी बाजार में आसान पहुँच भी चाहता है। योरपीय संघ मज़बूत बौद्धिक संपदा अधिकारों का जबरदस्त हिमायती है क्योंकि योरप में सक्रिय विशाल खेती के व्यापार वाली कंपनियाँ और फार्मास्युटिकल उद्योग ऐसा ही चाहते हैं इसलिए वह साथ ही ट्रिप्स प्लस के तहत सख्त बौद्धिक संपदा कानून भी चाहता है। सेवाओं के व्यापार में यह माना जा रहा है कि अब जो मुक्त व्यापार समझौते होंगे वह डब्ल्यूटीओ-गैट्स के बहुत आगे जाएँगे क्योंकि योरपीय संघ बीमा और कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में भी उदारीकरण लाना चाहता है। भारत की संसद ने 2015 में बीमा विधेयक पारित किया था तो अब बीमा के क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है ही। इस मुक्त व्यापार समझौते से भारत अपने लिए इस लाभ की उम्मीद कर रहा है कि उसे योरप के सेवा उद्योग में, खासतौर से सूचना तकनीक के क्षेत्र में काफी अच्छी पहुँच मिल जाएगी।

बौद्धिक संपदा के सख्त नियमों से खेती और दवाइयों तक पहुँच में बढ़ेगी मुश्किल

आरसीपीई के खतरों की तरह ही योरपीय संघ की एफटीए में ट्रिप्स प्लस प्रावधानों को समझौते में शामिल करने की माँग भी खतरनाक है। इससे न केवल किसानों की आजीविका बहुत गहरे प्रभावित होगी बल्कि जैव

विविधता, पारंपरिक ज्ञान और दवाइयों तक पहुँच पर संकट आएगा। ठीक आरसीपीई की तरह ही योरपीय संघ और भारत के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में यह माँग भी की गई है कि पेटेंट की अवधि 20 वर्ष से अधिक बढ़ा दी जाए। साथ ही चिकित्सकीय परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित डाटा उन्हें साझा करने से मुक्त रखा जाए। अगर यह समझौता लागू होता है तो आम इस्तेमाल की जेनेरिक दवाओं का उत्पादन मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होने से दवाओं की कीमत बढ़ेगी और भारत के लोगों के लिए इलाज करवाना और भी मुश्किल हो जाएगा। (जब अमेरिका और जॉर्डन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था तो उसके बाद से वहाँ दवाओं की कीमत 800 प्रतिशत बढ़ गई थी और ग्वाटेमाला में 846 प्रतिशत।)

इसी के साथ योरपीय संघ बाज़ार में अपनी ताकत और खेती के व्यापार में अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौतों को एक यूपीओवी, 1991³¹ अपनाते पर ज़ोर देता है। यह पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने का कानून है जो किसानों की तुलना में पौधे को संकरित कर विकसित करने वालों के पक्ष में है। इसमें किसान अपने बीज पर से अपना अधिकार खो देता है। भारत के किसानों में अभी तक अपने बीजों को संरक्षित करने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया प्रचलित है। बीजों की अच्छी और मज़बूत किस्में चुनने के उद्देश्य से वे अपने अपने बीजों को आपस में बदलते भी हैं और साझा भी कर लेते हैं। इससे लगातार उनका उत्पादन और उपज सुधरती है। यूपीओवी, 1991 भारत के 'पौधों की किस्मों के संरक्षण और किसानों के अधिकार के कानून' के ठीक विरोध में खड़ा होता है। यह कानून 2001 में लागू किया गया था और इससे किसानों को व्यावसायिक बीज विकसित करने वाले व्यवसाइयों जैसी हैसियत हासिल होती है और उसी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है। इस कानून में शोध के ज़रिए नये पौधों की किस्में विकसित करने और किसानों की अपने बीजों को सुरक्षित रखने, इस्तेमाल करने साझा करने या बेचने के अधिकार की सुरक्षा भी मिलती है। अगर योरपीय संघ के साथ एफटीए समझौता होता है तो भारत को अपने 'पौधों की किस्मों के संरक्षण और किसानों के अधिकार कानून' को योरपीय संघ की संगति में बदलना होगा।

बढ़ते आयात के खतरे और बचे हुए निर्यात अवरोध

योरपीय संघ भारत के बाज़ार में अपने डेयरी और अन्य कृषि उत्पादों के लिए आसान पहुँच चाहता है। भारत के लिए इसका मायना आयात अवरोधों को काफ़ी हद तक कम कर दिया जाना होगा (खेती के क्षेत्र में लगने वाले 90 प्रतिशत आयात शुल्कों को सिर्फ़ अगले सात वर्षों में घटाकर शून्य पर ले आया जाएगा)। इससे योरपीय संघ की ओर से कृषि उत्पादों का आयात बेतरह बढ़ जाएगा। योरपीय संघ में कृषि को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। योरपीय संघ खेती पर 59 अरब पाउंड की सालाना सब्सिडी देता है।³⁴ योरपीय संघ और विकासशील देशों के बीच मुक्त व्यापार के जो समझौते अभी अमल में हैं, उनसे साफ़ ज़ाहिर है कि उन समझौतों ने विकासशील देशों, विशेष तौर पर अफ्रीका, के किसानों की आजीविकाओं को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। विकासशील देश के किसान योरपीय संघ के उच्च सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों के आयात

³³ 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेरायटीज़ ऑफ प्लांट्स' एक अनेक सरकारों के बीच का अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पौधों की नयी प्रजातियों के संरक्षण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा बनाया गया था। ये सम्मेलन पेरिस में 1961 में स्वीकार किया गया था और बाद में 1972, 1978 और 1991 में संशोधित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य पौधों की नयी प्रजातियों को बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा संरक्षित किया जाना था ताकि पौधों की नयी प्रजातियों को विकसित करने का प्रोत्साहन मिल सके।

³⁴ <http://farmsubsidy.openspending.org/>

का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ़, भारतीय किसानों के लिए अपने उत्पादों को योरपीय संघ में निर्यात कर पाना भी लगभग असंभव हो जाएगा क्योंकि उनके यहाँ गैर शुल्क अवरोध भी बहुत सख्त हैं। मसलन स्वच्छता, वनस्पतियों की हिफ़ाजत (फाइटोसेनिटरी) के नियम और मूल के नियम (रूल ऑफ ऑरिजिन³⁵)। योरपीय संघ और भारत के बीच एफटीए समझौते पर हुए प्रभाव—आकलन अध्ययन (इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़) इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन समझौतों से भारत को कृषि निर्यात में बमुश्किल ही कुछ हासिल होगा। ऐसा एक अध्ययन तो योरपीय संघ की संसद द्वारा वित्तपोषित भी था और वह 2007 में फ्रांस आधारित शोध संस्थानों सीईपीआईआई और सीआईआरईएम द्वारा किया गया था। यह तथ्य भी इस मामले में अहम है कि भारत से योरपीय संघ को होने वाले 29.9 प्रतिशत कृषि निर्यात पहले ही शुल्कमुक्त हैं और जो बाकी हैं, उन पर भी यूरोपीय संघ का मात्र 2 प्रतिशत का मामूली शुल्क लगता है। जबकि योरपीय संघ को इस समझौते से ज़बरदस्त लाभ पहुँचेगा। भारत के आयातों पर शुल्क 90 प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा जबकि योरपीय संघ द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली भारी—भरकम सब्सिडी यथावत जारी रहेगी। कुल—मिलाकर अंदाज़ा यह है कि योरपीय संघ से भारत को होने वाले निर्यात 17 से 18 अरब डॉलर तक बढ़ जाएँगे जबकि भारत के निर्यातों में सिर्फ पाँच अरब डॉर तक की बढ़ोत्तरी होगी। योरपीय संघ और भारत के मुक्त व्यापार समझौते से भारत के कृषि व्यापार को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि मुक्त व्यापार समझौते का सेवाओं और निवेश वाले प्रावधान योरप के कृषि प्रसंस्करण और खुदरा व्यापार करने वाली कंपनियों को भारत में घुसने का मौका भी देंगे। भारत के छोटे किसान योरपीय संघ की खेती या खुदरा व्यापार से जुड़ी कंपनियों की ताकत के सामने तबाह हो जाएँगे।

सार्वजनिक सरकारी भंडारण

योरपीय संघ का इस बात पर भी ज़ोर है कि जो सार्वजनिक सरकारी भंडारण किया जाता है वह योरपीय संघ की कंपनियों के लिए खोल दिया जाए। यह भंडारण 156 अरब डॉलर मूल्य के करीब होता है जो भारत के जीडीपी का 12 से 14 प्रतिशत है। योरपीय संघ लंबे समय से डब्ल्यूटीओ में इस बात का पैरोकार रहा है कि सरकार द्वारा किया जाने वाला भंडारण उदारीकृत किया जाए लेकिन विकासशील देशों ने इसका लगातार विरोध किया है। भारत के विकास के लिए सार्वजनिक भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भंडारण से अविकसित आर्थिक इलाकों की मदद की जाती है और घरेलू उत्पादन व आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार द्वारा किया जाने वाला भंडारण आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को भी किसी हद तक समान करने की कोशिश करता है। इसके ज़रिए छोटे और मझोले आकार के उद्यमियों और सीमांत तथा महिलाओं तथा अन्य वंचित समूहों को समर्थन दिया जाता है। रेलवे, ऊर्जा, टेलीकम्यूनिकेशन, निर्माण और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न और आपस में कोई सीधा संबंध न होने वाले क्षेत्रों को भी इस भंडारण के ज़रिए मदद पहुंचाई जाती है। अगर सरकार यह भंडारण ना करे तो इसका भीषण असर इन सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा। इस पर भी योरपीय संघ भारत से तो भारत के बाज़ार में अपनी आसान पहुँच माँग रहा है लेकिन उस का अपना सार्वजनिक भंडारण व्यावहारिक रूप से अन्य देशों की पहुँच से बाहर ही है। तकनीकी रूप से तो वह खुला है लेकिन योरपीय संघ की सरकार ने इस तरह के प्रावधान किए हैं कि सरकारी भंडारण का बहुत छोटा सा

³⁵ <http://www.ecofair-trade.org/content/ambitious-trade-liberalisation-and-indian-agriculture>

भाग ही उन देशों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पाया जा सकता है जो योरपीय संघ के बाहर के हों। एक अध्ययन के मुताबिक अगर योरपीय संघ अपने सार्वजनिक भंडारण के बाज़ार को भारत के लिए खोल भी दे तो भी भारत को उससे कुल हासिल 1 से 1.2 करोड़ डॉलर ही होगा।³⁶

भारत का मुख्य उद्देश्य पहुँच से बाहर

वर्ष 2007 से भारत सरकार लगातार कोई न कोई तर्क दे रही है कि मुक्त व्यापार समझौता करने के बाद भारत को योरपीय संघ के सूचना-तकनीकी क्षेत्र में अच्छा-खासा भाग हासिल हो सकेगा। शुरू से ही भारत की ओर से मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं में योरपीय संघ का सूचना-तकनीकी क्षेत्र एक सपने या एक प्रमुख उद्देश्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। हालाँकि 2016 तक योरपीय संघ ने भारत को एक ऐसे देश के रूप में चिन्हित किया हुआ है जहाँ डाटा सुरक्षित नहीं है। योरपीय संघ ऐसे देशों को 'डाटा असुरक्षित की श्रेणी' में रखता है जहाँ पर निजी जानकारियाँ सुरक्षित करने का समग्र और बुनियादी अधिकार सुरक्षित करने का कोई कानून ना हो। इसीलिए योरपीय संघ के बाज़ार में भारत की सूचना-तकनीकी कंपनियों की कोई पहुँच नहीं है। और जब तक भारत में निजी जानकारियों की सुरक्षा के कानून नहीं होंगे तब तक यूरोपीय संघ अपने सूचना-तकनीकी क्षेत्र के भीतर भारत को कोई जगह नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि मुक्त व्यापार समझौते से भारत को अन्य क्षेत्रों में जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, वह तो जस का तस रहेगा और एकमात्र क्षेत्र, जिस पर लाभ की सारी उम्मीदें टिकी हैं, वह भी हासिल नहीं होगा।

सी) भारत-कनाडा समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)

भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) की बातचीत नवंबर, 2010 में शुरू हुई थी। इसके दायरे में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार और निवेश शामिल हैं। वस्तुओं के व्यापार में दो देशों के बीच जिन उत्पादों का व्यापार होता है उनमें से बहुत सारी वस्तुओं पर से शुल्क पूरी तरह खत्म करने के बारे में बातचीत चल रही है। इसमें वन उत्पाद, खनिज, तैयार या निर्मित वस्तुएँ, मछली और खेती के उत्पाद शामिल हैं।

अनुमान बताते हैं कि एक दफ़ा कनाडा और भारत का यह आपसी समग्र भागीदारी समझौता हो गया तो उससे भारत की खेती के क्षेत्र पर बहुत नुकसान देने वाला असर होगा। कनाडा की खेती पर पूरी तरह विशाल कंपनियों का कब्ज़ा है (2008 में कनाडा की कुल जनसंख्या का मात्र 1.6 प्रतिशत खेती के क्षेत्र में काम करता था)। इन कंपनियों के पास आधुनिक तकनीक है जिससे उन्हें बड़ी उपज और सस्ता उत्पादन मिलता है। भारत में खेती में अधिकांश लोग छोटे किसान और किसान-मजदूर हैं। कनाडा-भारत समग्र भागीदारी समझौते जैसे समझौते भारत के किसानों के लिए आजीविका का बड़ा संकट खड़ा कर देंगे क्योंकि वह कनाडा से होने वाले सस्ते आयात का सामना करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा दालों और खाद्य तेल के क्षेत्र पर। कनाडा बड़े पैमाने पर भारी-भरकम सब्सिडी के साथ कैनोला तेल का उत्पादन करता है। अखबारों में छपे लेखों के आधार पर कनाडा यह ज़ाहिर कर चुका है कि वह भारत के खाद्य तेल के बाज़ार में प्रवेश करने का इच्छुक है। भारत के दाल-दलहन के क्षेत्र में फिलहाल कनाडा से

³⁶ <http://www.twn.my/title2/FTAs/info.service/2012/fta.info.233.htm>

आयात होने वाली मसूर की दाल पर 30 प्रतिशत का शुल्क है। अनुमान बताते हैं कि अगर समझौता अमल में आया और आयात शुल्क समाप्त हो गया तो कनाडा से आने वाली मसूर की दाल का प्रतिशत अगले 5 वर्षों में 147 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।³⁷ कनाडा भारत को कुछ उर्वरकों का निर्यात भी करने वाला है ऐसी संभावना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कैनोला तेल के बीजों के साथ यह भारत की खेती को और भी ज़्यादा प्रदूषित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज भारत में आएँगे ही, साथ ही इनकी कंपनियाँ हमारे देश के अनुवांशिकी संबंधी नियमों—कानूनों को कमजोर करने की भी कोशिश करेंगी। कनाडा—भारत समग्र भागीदारी समझौता कनाडा की फर्मों के लिए हमारा खनन क्षेत्र भी खोल देगा। अधिकांश खनिज संपन्न इलाकों में भारत के आदिवासी बहुतायत में बसते हैं। बेहद नाजुक संतुलन पर टिका उनका जीवन, मुनाफ़े के लिए आ रही विदेशी कंपनियों से बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

वस्तुओं में व्यापार के उदारीकरण के अलावा यह समझौता सेवाओं के क्षेत्र को भी और निवेश के प्रस्तावों को भी खोलना चाहता है। कनाडा भारत के वित्तीय और दूरसंचार की सेवाओं के बाजार में भी अपनी उपस्थिति बनाना चाहता है।

डी) ऑस्ट्रेलिया—भारत समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में समग्र आर्थिक सहयोग समझौते के बारे में बातचीत की शुरुआत जुलाई, 2007 में हुई थी और उम्मीद है कि वार्ताओं के दौर 2016 के अंत तक खत्म हो जाएँगे। यह नया व्यापारिक समझौता भारत की खेती को, ऊर्जा, निर्माण, खनन और सेवा क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। खेती के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया डेयरी, ताज़े फल, गेहूँ और शराब में आयात शुल्क में कमी की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत के सार्वजनिक भंडारण के क्षेत्र में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के सामने वैसे ही संकट पैदा हो सकते हैं जैसे योरपीय संघ के भारत के सार्वजनिक भंडारण के क्षेत्र में दाखिल होने से हो सकते हैं। दूसरी तरफ़ भारत का सोचना है कि उसे ऑस्ट्रेलिया में सेवा क्षेत्र के भीतर अच्छी—खासी जगह हासिल को जाएगी। कम से कम बताया तो यही जा रहा है। लेकिन जैसा मुक्त व्यापार समझौतों के अन्य मामलों में हुआ है, जहाँ विकसित देश और विकासशील देश किसी समझौते में गए हैं, वहाँ विकसित देशों के गैर शुल्क प्रतिबंधों के कारण विकासशील देशों के लिए यह बहुत मुश्किल होता है कि वे उनके बाज़ार का कोई बड़ा भाग या दाखिला भी पा सकें। ऑस्ट्रेलिया—भारत की इस संधि में एक और बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि ऑस्ट्रेलिया इस समझौते में एक आईएसडीएस (इन्वेस्टर—स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट) को शामिल करने की माँग कर रहा है जिसका मॉडल ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में है।

भारत—इज़राएल व्यापारिक समझौता

इस समझौते की वार्ताएँ 2006 में शुरू हुई थीं। इज़राएल को उम्मीद है कि इस समझौते से उसे भारत की जल—तकनीकी और जैव—तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ़ भारत का सोचना है कि उसे इज़राएल से आंतरिक सुरक्षा, जिसमें आतंकवाद से लड़ना भी शामिल है, के लिए सहयोग मिलेगा।³⁸

³⁷ <http://cafta.org/trade-agreements/canada-india-cepa/>

³⁸ <http://www.thehindu.com/business/Industry/indiaisrael-fta-talks-likely-to-be-completed-next-year/article6005957.ece>

निष्कर्ष और सुझाव

इन व्यापारिक समझौतों से किसे लाभ होता है?

इस पुस्तिका में दिए गए उदाहरण बताते हैं कि कैसे पिछले वर्षों में हुए व्यापारिक समझौते दरअसल और कुछ नहीं, मुक्त व्यापार के निज़ाम को आगे बढ़ाने की कोशिश हैं। जिन देशों ने डब्ल्यूटीओ के भीतर जो भी प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं और जिन पर यह देश सहमत हुए हैं, उन दायरों से बाहर जाकर वह ऐसे समझौते कर रहे हैं जिनसे किसानों की आजीविका, देश की बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा और आमजन की ज़रूरी दवाओं तक पहुँच पर बुरा असर पड़ेगा। यह पुस्तिका इन खतरों की ओर एक अंतर्दृष्टि देती है और बताती है कि इन मुक्त व्यापार समझौतों से भारत के लोगों को कोई भी लाभ हासिल नहीं हुआ है। फिर सवाल यह उठता है कि भारत सरकार ऐसे समझौते क्यों कर रही है जिससे भारत के लोग ही दुष्प्रभावित होते हों। और उससे भी ज़रूरी सवाल कि आखिर इन समझौतों से किसी को भी क्या हासिल होता है?

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक प्रगति की कुछ छल्लोंगें भरी हैं और आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चीन के बाद फार्मास्युटिकल उद्योग में भारत दूसरे क्रम पर है। छोटी कारों का विशाल बाज़ार भी भारत में है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर विकसित करने वालों के सबसे विशाल समूहों में भारत दूसरे क्रम पर है। हालाँकि यह सारे बड़े-बड़े व्यवसाय मिलकर भी भारत के लोगों का एक छोटा-सा हिस्सा ही बनाते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार समझौतों के लिए होने वाली वार्ताओं में केवल इस छोटे से तबक़े के हितों का ही प्रतिनिधित्व करती है और किसान, मजदूर, मछुआरे, आदिवासी, दलितों और महिलाओं जैसी भारत की बहुसंख्यक आबादी की आजीविका को नज़रअंदाज़ कर देती है।

इस तथ्य को जानने के बाद किसी के मन में यह विचार आ सकता है देश के इन विशाल व्यवसायियों ने पिछले वक्त में हुए मुक्त व्यापार समझौतों से बड़े लाभ हासिल किए होंगे। *हालाँकि सच इसके बिल्कुल उलट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बावजूद देश के निर्यात की वृद्धि में दरअसल कोई खास सुधार नहीं हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण, 2010-11 यह कहता है कि, 'हालाँकि भारत विश्व व्यापार की वार्ताओं में एक प्रमुख भागीदार और विश्व व्यापार नीति का निर्माताओं में से एक बन रहा है, फिर भी विश्व व्यापार में अभी भी भारत एक छोटा खिलाड़ी ही है। यद्यपि यह नये इलाकों में बाज़ार ढूँढ़ने की और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन साथ ही अपने कुछ पारंपरिक बाज़ार और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को खो भी रहा है।'* आर्थिक सर्वेक्षण आगे कहता है कि 'मुक्त व्यापार समझौतों या समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों को देश के घरेलू क्षेत्र की चिंताओं की ओर ध्यान देना चाहिए और मुक्त व्यापार समझौते इस तरह थोक के भाव में नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि मुक्त व्यापार समझौतों से व्यापार बढ़ना चाहिए, खास तौर से भारत से होने वाले निर्यातों को बढ़ना चाहिए।'³⁹ व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कॉन्फ्रेंस (अंकटाड) के एक

³⁹ Indian Ministry of Finance, Economic Survey 2010-11, p.186, Box 7.6

⁴⁰ <http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/government-taking-a-relook-at-free-trade-agreements-nirmala-sitharaman/articleshow/54049153.cms>

अध्ययन में यह भी पाया गया कि एफटीए ने विकासशील देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वर्ष 2007 की अंकटाड की रिपोर्ट बताती है कि 'एफटीए के मार्फत बाज़ार तक विकासशील देशों की पहुँच का बढ़ना या उनसे लाभान्वित होना कतई ज़रूरी नहीं होता। कुछ लाभ हों तो भी वह फ़ौरी हो सकते हैं, लेकिन इन समझौतों से अपने लिए सही नीति बनाने की जगह ज़रूर खो जाती है। (पृष्ठ 59)' अंततः जब भारत के उद्योगों की तरफ से घरेलू कंपनियों के लाभ पर चिंता व्यक्त की गई तो भारत सरकार ने 2016 में मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा और पुनरावलोकन करने का फैसला किया है।⁴⁰ यह एक अच्छी ख़बर है लेकिन यह अनिश्चितता और संदेह फिर भी बना हुआ है कि भारत सरकार वाकई निकट भविष्य में ठीक-ठीक मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में पुनर्विचार करेगी और इस बारे में अपने रवैया बदलेगी!

विकल्प क्या है?

दुनियाभर की सभी सरकारों को ऐसे सभी समझौतों को अमल में लाने से बचना चाहिए। देश और दुनिया के लाखों-करोड़ों लोगों के भविष्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े व्यावसायिक घरानों को सौंपने के बजाय मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार समझौतों के विकल्प पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:

—**खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो**—लोगों को स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से उनकी इच्छा और आदतों के मुताबिक स्थानीय किसानों द्वारा और पर्यावरणीय टिकाऊ तरीकों से पैदा किया जाने वाला भोजन मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है और इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह अधिकार विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौतों के उन सभी नियमों के बिल्कुल विपरीत खड़ा है जो बाज़ार और कंपनियों की माँग के मुताबिक खाने के तौर-तरीके और नीतियाँ बनाते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापार के उदारीकरण से खेती संबंधी शुल्क रेखाओं को पूरी तरह बाहर रखा जाना चाहिए।

—**बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी कानूनों में लचीलापन** होना चाहिए ताकि पेटेंट अधिकारों की रक्षा के बजाय लोगों की दवाइयों तक पहुँच और खेती पर निर्भर आजीविका को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही जीवन के सभी रूपों, पारंपरिक ज्ञान और जैविक विविधता को बचाने के लिए इन्हें पेटेंट के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

— शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सफ़ाई जैसी **अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं** को, साथ ही सरकारी भंडारण को भी व्यापार के उदारीकरण के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

— **निवेशकों और कंपनियों के अधिकारों को अत्यधिक अतिरिक्त सुरक्षा देने पर रोक** लगनी चाहिए और सरकारों को अपनी देश की आबादी और पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी कानूनों का सहारा लेने की आजादी होनी चाहिए।

— **गुपचुप वार्ताओं और अपारदर्शिता पर भी रोक** लगनी चाहिए। इन समझौतों के बारे में हो रही

⁴⁰ <http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/government-taking-a-relook-at-free-trade-agreements-nirmala-sitharaman/articleshow/54049153.cms>

वार्ताओं में उन सभी समूहों को भागीदार बनाने से, जिन पर इन समझौतों का प्रभाव पड़ने वाला हो, और सारी जानकारी को जनता के सामने सार्वजनिक कर देने से पारदर्शिता की कमी को खत्म किया जा सकता है।

— विकासशील देशों की ज़रूरतों और विकास की अवस्था के मुताबिक उनके साथ **विशेष व्यवहार की ज़रूरत** को पहचानना चाहिए ताकि वे विकास की शिकार न बनें बल्कि खुद भी विकसित हों।

एक न्यायपूर्ण भविष्य के लिए व्यापार लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार होना चाहिए, ना कि लोगों को व्यापार की ज़रूरत की भेंट चढ़ाया जाना चाहिए।

हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं

अतीत में, डब्ल्यूटीओ के दौर में लगभग सभी विकासशील देश कुछ हद तक एकजुट रहे ताकि न्यायपूर्ण और बेहतर व्यापार के नियम बन सकें। बाद में, जब बहुपक्षीय डब्ल्यूटीओ से निकलकर द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों के ज़रिए सौदे होने लगे, तब से इन देशों की एकजुटता मुश्किल होने लगी है। अब तक तो विकासशील देश अनुचित मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ़ इकट्ठी लड़ाई लड़ने के लिए एक-दूसरे के पास आने में नाकाम रहे हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अगर विकासशील देश अपना समूह बनाकर मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं में जाते तो उनकी सौदेबाजी की ताकत या बार्गेनिंग पावर निश्चित ही ज्यादा होती। उदाहरण के लिए, दक्षिण अमेरिकी देशों का व्यापार समूह मर्कोसुर अपने हितों को केंद्र में रखते हुए मज़बूती के साथ इन मुक्त व्यापार समझौतों में अपना पक्ष रखता है। उसने अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित ट्रिप्स प्लस माँगों का कामयाबी से विरोध किया। भविष्य में ऐसे द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का विरोध करने के नये साझा मोर्चे बनाने के नये तरीके खोजे जा सकते हैं जो विकासशील देशों पर या किसी भी देश पर ग़ैरबराबरी वाली शर्तों को ठोकते हों।

इन दक्षिणी गठबंधनों के अलावा विकसित और विकासशील देशों की जनता को जागरूक करना और साथ में लाना भी जरूरी है। हाल के कुछ वर्षों में विकसित देशों में भी मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ़ विरोध उभरना शुरू हुआ है। योरपीय संघ के देशों में 2,000 से ज्यादा शहरों और नगरपालिकाओं ने अपने आपको मुक्त व्यापार समझौतों से मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। इन शहरों में एम्स्टर्डम, कोलोन, एडिनबर्ग और वियना जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। इसके साथ ही आज लगभग हर देश में ऐसे समूह और नेटवर्क मौजूद हैं जो अन्यायपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पाठकों के परिचय के लिए दिए जा रहे हैं: 'फोरम अगेंस्ट एफटीए', 'ला वाया कैम्पेसिना'ए 'पीपुल्स ग्लोबल एक्शन' और 'अवर वर्ल्ड इज नॉट फॉर सेल'। 'मेडिसिंस सैन फ्रंटियर' जैसे कुछ एनजीओ ने भी मुक्त व्यापार समझौतों के मुद्दे उठाए हैं और उनके ख़तरों से लोगों को जागरूक करना शुरू किया है। अक्सर देखा गया है कि यह आंदोलन काफी अलग-थलग पड़ जाते हैं, इसलिए विकासशील देशों और विकसित देशों, दोनों के ही नागरिक संगठनों को जैसे एनजीओ, मज़दूर संगठन और किसान संगठनों को मुक्त व्यापार समझौतों के खिलाफ़ अपनी लड़ाई में एक-दूसरे के साथ संपर्क में रहना चाहिए। इन समूहों के अभियानों और विरोध प्रदर्शनों से उनके देशों की सरकारों को यह साफ़ समझना चाहिए उनके देशों के लोग सरकारों के मुक्त व्यापार के एजेंडा से सहमत नहीं हैं।

FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH

फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ

फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ, एशिया (थाईलैंड, फिलीपीन्स एवं भारत) में स्थित एक नीति शोध संगठन है। फोकस भारत एवं विश्व के दक्षिण भाग (यानी विकासशील देशों) में वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और इस प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रमुख संस्थाओं के बारे में शोध तथा विश्लेषण प्रदान कर सामाजिक आंदोलनों एवं समुदायों की सहायता करता है। फोकस के लक्ष्य दमनकारी आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं की समाप्ति, स्वतंत्र संरचनाओं तथा संस्थाओं का निर्माण, विसैन्यीकरण और शांति को बढ़ावा देना है।

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA



रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफतुंग (आर.एल.एस.)

रोज़ा लक्जमबर्ग स्टिफतुंग (आर.एल.एस.) जर्मनी में स्थित एक फाउंडेशन है, जो दक्षिण एशिया की तरह ही विश्व के अन्य भागों में महत्वपूर्ण सामाजिक विश्लेषण और नागरिक शिक्षा के विषयों पर कार्य कर रहा है। यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य समाज एवं नीति निर्धारकों के सामने वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। यह शोध संगठनों, स्व-मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन मॉडल्स के विकास में उनकी पहलों में मदद देता है, जिनमें अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देने की क्षमता है।